



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SUNDAY, JULY 13, 2014
(ASADHA 22, 1936 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 13th July, 2014

No. 30—HLA of 2014/56.— State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Bill, 2014, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 30—HLA of 2014

STATE UNIVERSITY OF PERFORMING AND VISUAL ARTS, ROHTAK BILL, 2014

A

BILL

to upgrade the integrated campus of Government Technical Institution(s) Society, Rohtak, comprising of four institutes namely State Institute of Fine Arts, State Institute of Design, State Institute of Film and Television and State Institute of Urban Planning and Architecture into a leading University to facilitate and promote studies and research in emerging areas of higher education with focus on new frontiers of Design, Fine Arts, Film and Television, Urban Planning and Architecture, and also to achieve excellence in these and connected fields.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Act, 2014.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force at once.

Definitions.

2. In this Act and in all Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder, unless the context otherwise requires.—

- (a) "All India Council for Technical Education" means All India Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (Central Act 52 of 1987);
- (b) "appointed day" means the day on which this Act shall come into force;
- (c) "Council of Architecture" means the Council constituted under section 3 of the Architects Act, 1972 (Central Act 20 of 1972);
- (d) "Council of Scientific and Industrial Research" means the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, an agency of the Government of India;
- (e) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and all other staff of the University;
- (f) "fee" means fee collected by the University from the students by whatever name called, which is not refundable;
- (g) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
- (h) "Performing and Visual Arts" mean the form of art such as fine arts, design, urban planning and architecture, film and television, ceramics, drawing, painting, sculpture, print making, crafts, photography, video, film making, and involve aspects of the visual arts as well as other related areas;
- (i) "Schedule" means Schedule appended to this Act;
- (j) "State" means the State of Haryana;
- (k) "Society" means Government Technical Institution Society, Rohtak registered vide No. 91 year 2007-08, dated 28.06.2007 under section 21 of the Societies Registration Act, 1860;
- (l) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean respectively the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;
- (m) "University" means State University of Performing and Visual Arts, Rohtak, as incorporated under this Act;
- (n) "University Grants Commission" means the Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act 3 of 1956);
- (o) "University teachers" mean Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons, as may be appointed for imparting instructions or conducting research in the University or in any institution maintained by the University and are designated as teachers by the Ordinances.

3. (1) There shall be a body corporate by the name of State University of Performing and Visual Arts, Rohtak comprising of the Chancellor, the Vice-Chancellor, the members of the Court, the Executive Council, the Academic Council and all persons, who may hereafter become or be appointed as such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership.

Incorporation.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue or be sued.

4. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other State law for the time being in force, no person or institution, other than the University, shall confer, grant or issue or hold himself or itself out as entitled to confer, grant or issue any degree, diploma or certificate in the specified area of knowledge assigned to it within the territorial jurisdiction of the University which is identical with or is a colourable imitation of any degree, diploma or certificate conferred, granted or issued by the University.

Bar on conferring, grant or issuing degrees, diplomas or certificates by unauthorized institutions.

(2) Contravention of the provisions of sub-section (1) shall be an offence.

(3) Where an offence under this section has been committed by an institution, every person incharge of and responsible to the institution for the conduct of its business at the time of the commission of the offence, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against as per law.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), where an offence under this section has been committed by an institution and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any partner, director, manager, secretary or other officer of the institution, such partner, director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished as per law.

Explanation.— For the purposes of this section, "institution" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals.

5. (1) All properties, movable and immovable and all the interests of whatsoever nature and kind therein owned by the Society, courses run thereunder and all the posts created and filled, whole staff of officers and officials working in the said institutions before the commencement of this Act, shall vest in the University:

Vesting of assets and liabilities.

Provided that the only that staff of the officers and officials shall be taken over who fulfils the qualifications if any prescribed by the University Grants Commission and if a person does not fulfils the qualifications for a post, for which University Grants Commission has laid down the qualifications, then he shall be adjusted against the post for which he fulfils the qualifications.

(2) All debts, obligations and liabilities incurred, all contract entered into and all matters and things engaged to be done in respect of the University shall be deemed to have been incurred, entered into, or engaged to be done by, with or for the University.

Powers and
functions of
University.

6. The University shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

- (a) to provide facilities and promote studies and research in emerging areas of fine arts, design, urban planning and architecture, film and television, including new frontiers of fine arts, design, urban planning and architecture, film and television and also to achieve excellence in these and connected fields;
- (b) to hold examinations and grant degrees, diplomas and other academic distinctions or titles to persons in the fields of emerging areas of fine arts, design, urban planning and architecture, film and television, including new frontiers of fine arts, design, urban planning and architecture, film and television and also to achieve excellence in these and connected fields etc.;
- (c) to confer honorary degrees or other distinctions on approved persons, in the manner laid down in the Statutes;
- (d) to institute prizes, medals, research studentships, exhibitions and fellowships;
- (e) to receive gifts, donations or benefactions from the Government and to receive gifts, donation and transfers of movable or immovable property from transferors, donors, testators, as the case may be and to create such corpus fund with the donations so received for the welfare of the University;
- (f) to institute principalship, professorship, associate professorship, assistant professorship and to create other posts of any description required by the University and to appoint persons to such posts;
- (g) to co-operate with educational and other institutions in India and abroad having objectives similar to those of the University in such manner, as may be conducive to their common goals;
- (h) to provide instructions, including correspondence and such other courses, to such persons as are not members of the University, as it may determine;
- (j) to borrow with the approval of the Government, on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;
- (j) to supervise, control and regulate the residence, conduct and discipline of the students of the University and institutions within the jurisdiction of the University;

- (k) to acquire, hold, manage, lease or dispose of any property, movable or immovable including trust and endowment properties, for the purpose of the University;
- (l) to assess the needs of the State and the country in terms of subjects, fields of specialization, levels of education and training of manpower both on short and long term basis and to initiate necessary programmes to meet those needs;
- (m) to organize training, advanced studies and research programmes based on a deep understanding of the trends in design, performing and visual arts, architecture, as the University may think fit;
- (n) to promote research, design and developmental activities that have a relevance to social needs and the development programmes of the State;
- (o) to initiate measures to enlist the private sector and Government employers to provide complementary facilities;
- (p) to provide for continuous experimentation in imparting knowledge, organization of training and preparation of textbooks and other instrumental materials;
- (q) to arrange for progressive introduction of continuous evaluation and reorientation of the subject in educational measurement;
- (r) to further entrepreneurial ability among its students;
- (s) to educate the public with regard to the requirement of, and opportunities in the profession of Fine Arts, Design, urban planning and architecture, film and Television and its responsibilities and service to the society.

7. The University shall be open to all persons irrespective of sex, race, creed, religion, caste or class, and no test or condition shall be imposed as to religion, belief or profession in admitting or appointing members, students, teachers, workers or in any other connection whatsoever and no benefaction shall be accepted which in the opinion of the authorities of the University involves conditions or obligations opposed to the spirit and objectives of this provision:

University open to all races, classes, castes and creeds.

Provided that nothing contained in this section shall be deemed to prevent the University from making any special provisions in respect of weaker sections of the society and in particular Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Special Backward Classes etc.

8. All teaching in the University shall be conducted by and in the name of the University, in accordance with the Statutes, Ordinances and Regulations made in this behalf.

Teaching of University.

9. The following shall be the officers of the University, namely:—

Officers of University.

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;

- (iii) the Controller of Finance;
- (iv) Deans;
- (v) Registrar; and
- (vi) such other persons in the service of the University, as may be declared by the Statutes to be Officers of the University.

Chancellor.

10. (1) The Governor of Haryana by virtue of his office shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall be the head of the University.

(3) The Chancellor shall, if present, preside over the convocation of the University for conferring degrees and meetings of the Court.

(4) The Chancellor shall have the right-

(i) to cause an inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, laboratories and equipment and of any institution maintained by the University and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University; and

(ii) to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration of finances of the University, colleges or institutions.

(5) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and on receipt of such notice, the University shall have the right to make such representation to the Chancellor, as it may consider necessary.

(6) After considering the representation, if any, made by the University, the Chancellor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (4).

(7) Where any inspection or inquiry has been caused to be made by the Chancellor, the University shall be entitled to appoint a representative, who shall have the right to be present and to be heard at such inspection or inquiry.

(8) The Chancellor may, if the inspection or inquiry is made in respect of the University or any institution maintained by it, address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council, the views of the Chancellor and the action to be taken thereon as advised by the Chancellor.

(9) The Executive Council shall communicate through the Registrar to the Chancellor, such action, if any, as it proposes to take or has taken upon the result of such inspection or inquiry.

(10) Where the Executive Council does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may, after

considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council, issue such directions, as he may think fit and the Executive Council shall comply with such directions.

(11) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceedings of the University, which in his opinion are not in conformity with this Act, the Statutes, the Ordinances or the Regulations:

Provided that before making any such order, he shall call upon the University to show cause why such an order should not be made, and if any cause is shown within a reasonable time, he shall consider the same.

(12) The Chancellor may, at any time, require or direct the University to act in conformity with the provisions of this Act, the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder.

(13) The powers exercised by the Chancellor under sub-sections (11) and (12) shall not be called in question in any Civil Court.

(14) Any employee of the University, who is aggrieved by the decision of the Executive Council or the Vice-Chancellor in respect of any disciplinary action taken against him, may address a memorial to the Chancellor, in such manner, as may be prescribed by Statutes and the decision of the Chancellor shall be final.

(15) The Chancellor shall have such other powers, as may be prescribed by the Statutes.

11. (1) The Government shall constitute a Selection Committee consisting of Additional Chief Secretary/Principal Secretary / Secretary to Government of Haryana, Technical Education Department as Chairman, one nominee of the Chancellor and one nominee each of the Executive Council and Institutions of repute in the field of Performing and Visual Arts, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order, from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor shall be determined by the Chancellor, on the advice of the Government. In view of the specific fields, the Vice-Chancellor shall be a renowned personality at least of the rank of Professor from the field of Fine Arts, design, Urban Planning and Architecture, Film and Television. The Vice-Chancellor shall be appointed solely on academic considerations. He shall be a distinguished educationist having commitment to the values for which the University stands and abilities to provide leadership to the University by his academic worth, administrative competence and moral stature:

Vice-Chancellor.

Provided that the founder Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of three years, which may be renewed for not more than one term:

Provided that he shall cease to hold the office on attaining the age of sixty-eight years irrespective of the fact that his term has not expired.

(3) The Chancellor may, on the advice of the Government, cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural justice and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry, to be a person patently unfit to be continued in such office.

(4) If the Vice-Chancellor is unable to perform his duties owing to his temporary incapacity on account of illness or any other reasons, or the office of the Vice-Chancellor falls vacant due to death, resignation or otherwise, the Chancellor may make arrangement for the performance of duties of the Vice-Chancellor until the existing Vice-Chancellor is able to resume his office or until a regular Vice-Chancellor is appointed, as the case may be.

(5) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(6) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act, except in the matters involving creation or abolition of a faculty, department or post and the matter involving appointment or removal of an employee:

Provided that the Vice-Chancellor before exercising powers under this section shall record in writing the reasons, why the matter cannot wait till the meeting of the authority concerned:

Provided further that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken by the Vice-Chancellor, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to represent to the Executive Council within one month from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(7) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes or Ordinances.

Registrar.

12. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor on the advice of the Government. The terms and conditions of service of the Registrar shall be determined by the Chancellor, on the advice of the Government.

(2) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

13. The manner of appointment, powers and duties of other officers of the University shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Other officers.

14. The following shall be the authorities of the University, namely:—

Authorities of University.

- (i) the Court;
- (ii) the Executive Council;
- (iii) the Academic Council;
- (iv) the Finance Committee;
- (v) the Faculties;
- (vi) the Planning Board; and
- (vii) such other authorities, as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

15. (1) The constitution of the Court and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes.

Court.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Court shall have the following powers and functions, namely:—

- (a) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University;
- (b) to consider and pass resolution on the annual report, annual budget, annual account of the University and on the audit report of such accounts;
- (c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and
- (d) to perform such other functions, as may be prescribed by the Statutes.

16. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University.

Executive Council.

(2) The constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

17. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over all academic policies of the University.

Academic Council.

(2) The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Faculties. 18. The constitution and functions of the faculties shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Finance Committee. 19. The constitution of the Finance Committee, the term of office of its members, its powers and duties shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Planning Board. 20. The constitution and functions of the Planning Board shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Statutes and their scope. 21. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;
- (b) the classification, mode of appointment, powers and duties of the teachers and the officers of the University;
- (c) the conditions of the service including provision for pension or provident fund or insurance scheme for the benefit of the employees of the University;
- (d) the conferment of honorary degrees;
- (e) the establishment and abolition of faculties and departments;
- (f) the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes;
- (g) the maintenance of discipline among the students;
- (h) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University; and
- (i) all other matters which by this Act, are to be or may be provided for, by the Statutes.

Statutes how made. 22. (1) On the commencement of this Act, the Statutes of the University shall be those as set out in the Schedule:

Provided that the authorities of the University constituted under the Statutes framed before the commencement of this Act shall continue to exercise all the powers and perform all the functions under this Act, till such authorities are constituted in terms of the Statutes set out in the Schedule referred to above.

(2) The Government or the Executive Council may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that the Executive Council shall not make, amend or repeal any Statute, affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing

an opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed, shall be considered by the Executive Council.

(3) The Academic Council may propose to the Executive Council a draft of any Statute relating to academic matters for consideration by the Executive Council.

(4) Every new Statute or addition to the Statute or any amendment or repeal of a Statute shall require the approval of the Chancellor, who may approve, disapprove or remit it for further consideration. A Statute passed by the Government or the Executive Council shall have no validity until it has been assented to by the Chancellor.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing subsections, the Chancellor, either suo motu or on the advice of the Government, may direct the Executive Council, to make, amend or repeal the Statutes in respect of any matter specified by him and if the Executive Council fails to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make, amend or repeal the Statutes suitably.

23. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

Ordinances and
their scope

- (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
- (b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;
- (c) the conditions under which students shall be admitted to the degree or diploma courses and to the examination of the University and eligibility for such degrees and diplomas;
- (d) the fees to be charged from courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees and diplomas of the University; and further to make progressively the fee structure so flexible that the courses could become self financing to the extent possible;
- (e) the conditions of the award of fellowships, studentships, exhibitions, medals and prizes;-
- (f) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examiners and moderators;
- (g) the conditions of residence of students of the University; and
- (h) all other matters which by this Act or the Statutes are to be made or may be provided for by the Ordinances.

Ordinance how
made.

24. (1) The Ordinances shall be made, amended, repealed or added to by the Executive Council:

Provided that no Ordinance shall be made-

- (i) affecting the admission or enrolment of students or prescribing examinations to be recognized as equivalent to the University examinations; and
- (ii) affecting the conditions, mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of examination or any courses of study;

unless the draft of such an Ordinance has been proposed by the Academic Council.

(2) The Executive Council may return to the Academic Council for reconsideration, either in whole or in part, any draft proposed by the Academic Council under sub-section (1) along with its suggestion:

Provided that the Executive Council shall not amend the draft proposed by the Academic Council itself. It may, however, reject such draft, if not found suitable when submitted to it by the Academic Council for the second time.

(3) All Ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date, as it may direct and every Ordinance made shall be communicated, as soon as may be, to the Chancellor.

Regulations.

25. (1) The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances—

- (a) laying down the procedure to be observed at their meetings; and
- (b) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are prescribed by Regulations.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of the meetings.

Annual report.

26. The annual report of the University giving details of broad programmes, policies and finances, amendments of Statutes and Ordinances made during the year under report, shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or after such date, as may be prescribed by the Statutes and the Court shall consider the report in its annual meeting.

Funds and
accounts.

27. (1) The University shall have a general fund to which shall be credited—

- (a) its income from fees, grants, donations, fine and gifts, if any;
- (b) any contribution or grant made by the Central Government, the University Grants Commission, All India Council for Technical Education or like authority, any

local authority or any corporation owned or controlled by the Government; and

(c) endowments and other receipts.

(2) The University may have such other funds as may be prescribed by the Statutes.

(3) The funds and all moneys of the university shall be managed in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Government may, every year, provide grant-in-aid to facilitate and promote studies and research.

28. (1) The annual accounts and the balance-sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall at least once every year and at intervals of not more than fifteen months be audited by the Director, Local Audit, Haryana or any other auditor that may be appointed by the Government. The annual accounts when audited shall be published in the Haryana Government Gazette and a copy of the annual accounts along with the report of the Director, Local Audit, Haryana or the auditor shall be submitted to the Court and the Chancellor along with the observations of the Executive Council. Any observations made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Court and observations of the Court, if any, shall after being considered by the Executive Council, be submitted to the Chancellor.

Annual accounts.

(2) The annual accounts and the balance sheet of the University shall also be submitted to the Government at the time of its submission to the Chancellor.

29. (1) Every salaried officer and teacher, except the Vice-Chancellor shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with the University and any dispute arising out of a contract between the University and any of the officer or teacher shall, at the request of the teacher or officer concerned or at the instance of the University, be referred to a Tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and one nominee of the Chancellor. The decision of the majority of the members of the Tribunal shall be final and no suit shall lie in any civil court in respect of the matter decided by the Tribunal.

Conditions of service of officers and teachers.

(2) Every such request shall be deemed to be a submission to arbitration within the meaning of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act 26 of 1996).

30. (1) The University shall institute, for the benefit of its officers, teachers and other employees, pension, provident fund and insurance fund, as it may deem fit.

Pension, provident fund and insurance fund.

(2) Where any provident fund and insurance fund have been so constituted, the provisions of the Provident Fund Act, 1925 (Central Act 19 of 1925), shall be applicable.

Vacancy not to invalidate proceedings.

31. No act done, or proceeding taken, under this Act by any authority or other body of the University shall be invalid merely on the ground of any—

- (a) vacancy or defect in the constitution of the authority or body; or
- (b) defect or irregularity in election, nomination or appointment of a person acting as a member thereof; or
- (c) defect or irregularity in such act or proceeding, not affecting the merits of the case.

Certain disputes to be referred to Chancellor.

32. If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Powers to remove difficulties.

33. If any difficulty arises with respect to the establishment of the University or in connection with the first meeting of any authority of the university or otherwise in first giving effect to the provisions of this Act, the Government may, at any time, before any authority of the University has been constituted, by order, make any appointment or do anything, consistent, so far as may be, with the provisions of this Act, which appears to it necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty and every such order shall have effect as if such appointment or action had been made or taken in the manner provided in this Act.

Creation of teaching and non-teaching posts.

34. Notwithstanding anything contained in this Act, the university shall, not create any teaching and non-teaching posts or revise the pay scales of the teaching and non-teaching employees without obtaining the prior approval of the Government:

Provided that the Government may delegate its powers under this section to the Vice-Chancellor or the Executive Council as and when the need arises for smooth functioning and growth of the University.

Protection of action taken in good faith.

35. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or Ordinances.

THE SCHEDULE

**(STATUTES OF STATE UNIVERSITY OF PERFORMING AND VISUAL
ARTS, ROHTAK BILL, 2014)**

(see section 24)

1. (i) The Vice-Chancellor shall be ex-officio Chairman of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee, and shall, in the absence of the Chancellor, preside over the convocations of the University held for conferring degrees and over the meetings of the Court. The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and to address, any meeting of any authority or other body of the University, but shall not be entitled to vote thereat, unless he is member of such authority or body. Powers and duties of Vice-Chancellor.
- (ii) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and he shall take all necessary steps to ensure such observance.
- (iii) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee and any other authority or body of the University.
- (iv) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall give effect to the decision of the authorities of the University.
- (v) The decision of the Vice-Chancellor regarding seniority for nomination to the various authorities or bodies of the University, shall be final.
2. (i) The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Executive Council and Faculties but shall not be deemed to be a member of any of these authorities, and shall be ex-officio Member-Secretary of the Court and the Academic Council. Registrar.
- (ii) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is by reason of illness, or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person, as the Vice-Chancellor may appoint temporarily for the purpose till the regular appointment is made by the Chancellor on the advice of Government:

Provided that where the temporary arrangement is made against the vacancy, the period for such temporary arrangement shall not exceed six months and the Registrar shall be appointed within this period.

(iii) It shall be the duty of the Registrar-

- (a) to be the custodian of the records, common seal and such other property of the University, as the Vice-Chancellor shall commit to his charge;
- (b) to issue all notices convening meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Faculties and of any committee appointed by any authority of the University;
- (c) to keep the minutes of all meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Faculties and any Committee appointed by the authorities of the University;
- (d) to conduct the official correspondence of the Court, the Executive Council, the Academic Council and the Faculties;
- (e) to supply to the Chancellor, copies of the agenda, the minutes of the meetings of the authorities of the University, as soon as they are issued; and
- (f) to perform such other duties, as may, from time to time, be assigned to him, by the Vice-Chancellor.

(iv) The Registrar shall have power to administer warning or to impose the penalty of censure or withholding of increments upon such of the employee, excluding teachers of the University and the academic staff, as may be specified in the orders of the Executive Council and to suspend them with pending enquiry;

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(v) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any of the penalties specified in clause (iv).

(vi) In case the inquiry discloses that a punishment, beyond the powers of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon conclusion of the inquiry make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations:

Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.

(vii) The Registrar shall be the authorized officer to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf

of University and shall act in such capacity when the appropriate authority of the University has taken a decision in the matter. The Registrar shall also exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by Statutes or the Ordinances.

3. (1) The Controller of Finance shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of Vice-Chancellor on such terms and conditions, as may be prescribed by the Statutes. Controller of Finance.

(2) The Controller of Finance shall be the ex-officio Secretary of the Finance Committee but shall not be deemed to be a member of such committee.

(3) When the office of the Controller of Finance is vacant or when the Controller of Finance is by reason of illness or any other cause is unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person, as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(4) The Controller of Finance shall—

- (a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise the University as regards its financial policies; and
- (b) perform such other functions, as may be assigned to him by the Executive Council or as may be prescribed by the Statutes.

(5) Subject to the control of the Executive Council, the Controller of Finance shall—

- (a) hold and manage the property and investments of the university including trust and endowed property;
- (b) ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all the budget is utilized for the purpose for which it is granted or allotted;
- (c) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University and for their presentation to the Executive Council;
- (d) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;
- (e) watch the progress of the collection of revenue and advise on the method of collection to be employed;
- (f) ensure that registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stock checking of equipment and other connected material in

all offices, special centres, specialized laboratories and institutions maintained by the University is conducted;

(g) bring to the notice of the Vice-Chancellor any unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest action to be taken against the person responsible for it; and

(h) call for from any officer, centre, laboratory, college or institution maintained by the University, any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties;

(6) The receipt of the Controller of Finance or person duly authorized in this behalf by the Executive Council for any money payable to the university shall be sufficient discharge for payment of such money.

Other officers
of University.

4. The following persons in the service of the University are also declared to be the officers of the University, namely:—

- (a) Dean of University;
- (b) Dean Academic Affairs;
- (c) Proctor;
- (d) Chief Warden;
- (e) Dean of Students' Welfare;
- (f) Controller of Examinations;
- (g) Librarian;
- (h) Law Officer.

Dean of
University. Dean
Academic Affairs,
Proctor, Chief
Warden and Dean
of Student's
Welfare.

5. The Dean of University, the Dean Academic Affairs, the Proctor, the Chief Warden and the Dean of Students' Welfare, shall be appointed by the Executive Council, on the recommendations of the Vice-Chancellor from amongst the teacher of the University who shall not be below the rank of Professor, on such terms and conditions, as the Vice-Chancellor may recommend to the Executive Council.

Controller of
Examinations.

6. (i) The Controller of Examinations, shall be whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the Establishment Committee on such terms and conditions, as may be specified by the Executive Council.

(ii) It shall be the duty of the Controller of Examinations—

- (a) to conduct examinations in a disciplined and efficient manner;

- (b) to arrange for the setting of papers with strict regard to secrecy;
- (c) to arrange for the evaluation of answer sheets in accordance with the planned time schedule for results;
- (d) to constantly review the system of examinations in order to enhance the level of impartiality and objectivity with a view to make it a better instrument for assessing the attainments of students; and
- (e) to do any other matter connected with the system of examinations which may, from time to time, be assigned to him by the Vice-Chancellor.

7. The Librarian shall be whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the Establishment Committee, on such terms and conditions, as may be prescribed by the Executive Council. Librarian.

8. The Law Officer shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of Vice-Chancellor on terms and conditions as may be prescribed by the Statutes. Law Officer.

9. The Court shall consist of the following members, namely:— Court and its constitution.

I Ex-Officio members:—

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department, or a nominee not below the rank of Joint Secretary;
- (iv) the Additional Chief Secretary / Principal Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department or a nominee not below the rank of Joint Secretary;
- (v) The Secretary to Government, Higher Education Department or a nominee not below the rank of Joint Secretary / Additional Director;
- (vi) The Legal Remembrancer, Haryana, or his nominee not below the rank of Deputy Legal Remembrancer;
- (vii) the Director General / Director Technical Education Department, Haryana or a nominee not below the rank of Joint Director;
- (viii) the Dean of Faculties;
- (ix) the Registrar;
- (x) Controller of Examination

II. Other members—

- (i) Professors of the University not exceeding five, on the basis of seniority by rotation;
 - (ii) four teachers from amongst the Associate Professor and Assistant Professor of the University of whom at least two shall be Associate Professor on the basis of seniority by rotation;
 - (iii) five eminent academicians and representatives from industry, commerce, engineering, Film Industry, Field of Arts, Design etc., to be nominated by the Chancellor on the recommendations of the Vice-Chancellor;
 - (iv) Librarian;
 - (v) Law Officer;
- III. (i) The Registrar shall be the ex-officio Member- Secretary of the Court;
- (ii) save as otherwise expressly provided, the members of the Court other than ex-officio members, shall hold office for a term of two years;
- (iii) at all meetings of the Court, two-fifths of the members shall form a quorum.

Meetings of
Court.

10. (i) The Court shall meet at least once a year.
- (ii) A special meeting of the Court may be convened at any time, by the Chancellor, the Vice-Chancellor or on a written request by one-third of its members.

Executive
Council and
its constitution.

11. The Executive Council shall consist of the following persons, namely:—

I. Ex-officio members:-

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department, or a nominee not below the rank of Joint Secretary;
- (iii) the Additional Chief Secretary / Principal Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department or a nominee not below the rank of Joint Secretary;
- (iv) the Director General / Director Technical Education Department, Haryana or a nominee not below the rank of Joint Director;

II Other members-

- (i) three Deans of the Faculties to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation in accordance with the procedure laid down by the University;
- (ii) two Professors (other than Deans of the Faculties) by rotation on the basis of seniority;
- (iii) six persons to be nominated by the Chancellor on the recommendations of the Vice-Chancellor from amongst distinguished professionals and eminent persons from the Industry / Film Industry / Fine Arts / Film and Television Institute / National Institute of Fashion Technology / National Institute of Design / Council of Architecture / Technical Universities / Indian Institutes of Technology / Indian Institute of Management / All India Council for Technical Education, University Grants Commission, Lalit Kala Akademi, Sangeet Natak Akademi, Doordarshan, National School of Drama and other institution of repute in these areas, etc.;
- (iv) Law Officer of the University;

- III.**
- (i) the Registrar shall be the ex-officio Secretary of the Executive Council;
 - (ii) two-fifth of members shall form the quorum; and
 - (iii) save as otherwise expressly provided, the members of the Executive Council, other than ex-officio members, shall hold office for a term of two years;

12. The Executive Council shall exercise the following powers, namely:—

Powers of
Executive
Council.

- (a) to hold, control and administer the revenue, property and funds of the University;
- (b) to create teaching and academic posts, to determine the number and emoluments of such posts and to define the duties and conditions of service of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff and Deans of institutions:

Provided that the matters of creation of new posts involving additional financial liability shall hold good if the representative/s of the Government as given below:—

i.e. Finance Secretary (Administrative Secretary) or in his absence, is representative;

AND

Technical Education Secretary (Administrative Secretary) or in his absence, his representative;

OR

Technical Education Director General or in his absence, his representative, are present at the time of taking such decision and have consented to such decision:

Provided further that in case the Government representative from the Finance and Technical Education Department are not present in two consecutive meetings even after the proper notice, then the Executive Council may approve the proposal regarding creation of posts:

Provided further that in respect of the numbers, qualifications and the emoluments of teachers and academic staff, the Executive Council shall take action after considering the recommendations of the Academic Council and the Finance Committee:

Provided further that in respect of qualification of teachers and academic staff, the Executive Council shall take action after considering the recommendation of Academic Council and also laid down by the University Grant Commission/ All India Council for Technical Education / Council of Architecture and other concerned statutory bodies like National Institute of Design, Film and Television Institute of India, Pune, National School of Drama, New Delhi and National Institute of Fashion Technology, New Delhi as the case may be;

- (c) to appoint Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other academic staff and Deans of institutions, on the recommendations of selection committees constituted for the purpose and to fill up temporary vacancies therein;
- (d) to create administrative, ministerial and other posts and make appointments thereto, in the manner prescribed by the statutes;
- (e) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents as it may think fit;
- (f) to invest any money belonging to the University including any unapplied income in such stocks, funds, shares or

securities as it shall, from time to time think fit or in the purchases of immovable property in India with the like powers of varying such investments from time to time:

- (g) to transfer or accept transfer of any movable and immovable property on behalf of the University;
- (h) to provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
- (i) to select a common seal for the University;
- (j) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, the Registrar or such other employee or authority of the University or to a committee appointed by it, as it may deem fit;
- (k) to enter into, vary, carry out, or cancel contracts on behalf of the University;
- (l) to make, amend or repeal the Statutes;
- (m) to make decisions regarding maintenance of discipline among students;
- (n) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or assigned to the Executive Council by the Act, the statutes or the Ordinances;
- (o) to exercise all powers of the University not otherwise provided for by Act, the Statutes, the Ordinances.

13. The Academic Council shall consist of the following persons, namely:—

Academic Council and its constitution.

- 1. Ex-officio members:—
 - (i) the Vice-Chancellor;
 - (ii) the Director General/Director, Technical Education or his authorized representative not below the rank of Joint Director;
 - (iii) the Registrar;
 - (iv) the Controller of Finance;
 - (v) two Dean of University, by rotation on the basis of their seniority;
 - (vi) the Controller of Examinations;
 - (vii) the Librarian of the University library.
- (II) Other members:—
 - (i) one professor appointed by the University from each faculty, by rotation on the basis of seniority;

- (ii) one Associate Professor from each faculty, by rotation on the basis of seniority;
- (iii) one Assistant Professor from each faculty, by rotation on the basis of seniority;
- (iv) four eminent educationists to be nominated by the Vice-Chancellor from outside the University:

Provided that not more than one of them shall be from the same field;

- (v) four persons from public sector undertaking / related industries of the Central and State Governments, in the State having proficiency in related industry matters and research, to be nominated by the recommendation of the Vice-Chancellor:

Provided that any other Chairman/officer of the University whose association is necessary regarding a particular item may be invited to attend the meeting. However, the special invitee shall not have any right to vote.

Powers of the
Academic
Council.

14. (1) The Academic Council shall exercise the following powers, namely:—

- (a) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, co-operative teaching among institutions, evaluation of research or improvements in academic standards;
- (b) to consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference by the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Executive Council or a faculty and to take appropriate action thereon;
- (c) to recommend to the Executive Council, the creation and abolition of teaching posts;
- (d) to prescribe syllabi and courses of study for various examinations on the recommendations of the faculties;
- (e) to frame such regulations consistent with the Statutes and Ordinances regarding the academic functions of the University, discipline, residence, admissions, awards of fellowships, studentships, scholarships, medals and prizes, fee concessions, corporate life and attendance; and
- (f) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or assigned to the Academic Council by the Act, the Statutes or the Ordinances.

(2) All decisions of the Academic Council concerning syllabi, courses of studies and conducting of examinations so far as they are not provided for by the Statutes and Ordinances shall be final.

15. (1) The Finance Committee shall consist of the following persons, namely:—

Composition
of Finance
Committee.

(I) Ex-officio members—

- (a) the Vice-Chancellor (Chairperson);
- (b) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to Government of Haryana, Technical Education Department or a nominee, not below the rank of Joint Secretary;
- (c) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department or a nominee not below the rank of Joint Secretary/ Additional Director;
- (d) the Director General/ Director, Technical Education Department, Haryana or a nominee not below the rank of Joint Director/Accounts Officer.

(II) Other members—

- (i) two outside members having expertise in finance to be nominated by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor;
- (ii) two Deans of Faculties to be nominated the Vice-Chancellor.

(2) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Committee.

(3) Nominated members of the Finance Committee shall hold office for a term of two years.

(4) Three members, out of whom at least one member shall be a Government nominee, shall form the quorum.

16. (1) The Finance Committee shall examine the accounts and scrutinize the proposals for expenditure and shall submit the annual budget to the Executive Council for approval. No expenditure in the budget shall be incurred by the University without the prior approval of the Finance Committee which shall fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year based on the resources and the income of the University. No expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits so fixed.

Functions and
powers of
Finance
Committee.

(2) It shall examine and recommend the Executive Council the creation of teaching and other posts.

(3) The annual accounts and the official estimates of the University shall be laid before the Finance Committee for its consideration and comments thereon and thereafter submitted to the Executive Council for approval.

Faculties of
University.

17. There shall be the following Faculties---

- (i) Faculty of Fine Arts;
- (ii) Faculty of Film and Television;
- (iii) Faculty of Design;
- (iv) Faculty of Urban Planning and Architecture;
- (vii) Such other Faculties as the Executive Council, on the recommendation of the Academic Council, may constitute.

Constitution of
Faculties.

18. (1) Each Faculty shall consist of---

- (i) Dean of the Faculty (Chairperson);
- (ii) Chairperson of the Departments included in that Faculty;
- (iii) One professor from each Department on the basis of seniority by rotation;
- (iv) One Associate Professor and Assistant Professor or equivalent from each Department included in the Faculty by rotation according to seniority;

Provided that wherever considered necessary, the Vice-Chancellor may on the recommendation of the Dean increase the number of members.

(2) Members nominated shall hold office for two years:

Provided that the Executive Council, at the request of the Academic Council, may increase the number of members of a Faculty.

(3) The Registrar shall be the Secretary of every Faculty.

(4) Two-fifths of the members in each Faculty shall form the quorum.

Dean of Faculty.

19. (1) There shall be a Dean of each Faculty who shall be appointed by the Vice-Chancellor. The Dean shall be appointed in rotation from amongst the professors in the various Departments comprising the Faculty.

(2) Suitable remuneration shall be attached to the office of the Dean who shall hold office for a term of three years.

(3) The Dean shall convene meetings of the Faculty and shall preside over them.

(4) The Dean shall be responsible for the co-ordination of teaching therein and the execution of the decisions of the Faculty.

(5) The Dean shall have the right to be present and to take part in discussion at any meeting of any committee of the Faculty.

20. Subject to the control of the Academic Council, the powers of the Faculty shall be—

Power of
Faculties.

- (a) to co-ordinate teaching and research work of the University in the Departments assigned to the Faculty;
- (b) to recommend to the Academic Council, the courses of studies and syllabi for the different examinations after necessary reports from the Board of Studies;
- (c) to receive report from the Departments for the creation and abolition of posts and to forward them to the Academic Council with such recommendations as it may consider reasonable;
- (d) to discuss and suggest to the Academic Council schemes for the advancement of standards of teaching and examinations; and
- (e) to deal with any other matter that may be referred to it by the Academic Council, the Vice-Chancellor or the Dean of the Faculty.

21. (1) Each teaching department shall have a Chairperson who shall be appointed by the Vice-Chancellor for a period of three years by rotation: Provided that—

Chairpersons of
Departments.

- (a) if a Department has two or more professors, the Chairpersonship shall rotate by seniority only among the professors;
- (b) if a Department has only one professor, the Chairpersonship shall rotate between the Professor and the senior-most Associate Professor; provided he has an experience of five years as a Associate Professor;
- (c) if a Department has no professor, the Chairpersonship shall rotate between the two senior-most Associate Professor with an experience of five years.

(2) In the case of a Department where no teacher is eligible for appointment as Chairperson or for such Departments where instruction is imparted only upto the under-graduate level in the institutions, the Dean of the concerned Faculty shall be the Chairperson.

(3) In case a senior person is on long leave, the next eligible person shall be appointed as Chairperson of the Department and he shall continue as such till the completion of his term, even if the senior person returns from leave during that period. However, the senior person shall be eligible for appointment as Chairperson after the expiry of the term of the present incumbent.

(4) In case the Chairperson of a Department, by reason of illness, absence or any other cause, is unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by the next eligible person, unless, the Vice-Chancellor orders otherwise.

(5) In case a person refuses to accept the offer of appointment as Chairperson or resigns of his own, he shall not be eligible for appointment as Chairperson of the Department till his turn comes again after the completion of the rotation circle among the eligible teachers.

(6) If the Vice-Chancellor deems it necessary, he may appoint next eligible person as Chairperson irrespective of the fact that the term of the present Chairperson has not yet expired, in which case he shall report the matter to the Executive Council at its next meeting.

Appointments.

22. (1) All appointments to teaching posts shall be made by the Executive Council on the recommendations of the Selection Committees.

(2) Appointments to non-teaching posts shall be made by the Executive Council on the recommendations of the Establishment Committee.

(3) Notwithstanding anything contained in clauses (1) and (2) above, the Vice-Chancellor may, where he considers necessary, make an adhoc or temporary appointment for a period not exceeding six month, if it is not possible or desirable to make regular appointment.

Selection Committees.

23. (1) A Selection Committee for the appointment of any Professor, Associate Professor, Assistant Professor shall consist of:—

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) Director General/ Director, Technical Education Department, Haryana;
- (iii) Dean of institution;
- (iv) Dean of the Faculty;
- (v) Chairperson of the Department concerned, if he is a professor;
- (vi) senior-most Professor in the Department except where otherwise decided by the Vice-Chancellor;
- (vii) three persons in the case of Professor and two persons in the case of Associate Professor and Assistant Professor, not connected with the University, nominated by the Vice-Chancellor from a panel of names, drawn up by the Academic Council, on the basis of their special knowledge of, or interest in the subject with which the Professor, Associate Professor and Assistant Professor shall be concerned;

Provided that the Vice-Chancellor may add more names to the panel in special circumstances and report these to the Academic Council at its next meeting.

(2) The panel of names drawn up by the Academic Council and the additions, if any, made thereto by the Vice-Chancellor, as provided in the Statutes, shall be subject to the approval of the Chancellor:

Provided that in case one of the experts fails to turn up at the Selection Committee after, accepting the invitation to attend the same, the proceedings of the meeting shall not be invalidated:

Provided further that the proceedings of the meeting of a Selection Committee shall not be invalidated in case any of the Ex-officio members of the Selection Committee fails to attend the meeting.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the meeting of a Selection Committee and the Registrar shall act as its Secretary. The meeting of a Selection Committee shall be convened by, or under the directions of the Vice-Chancellor.

(4) The Selection Committee shall consider and submit to the Executive Council recommendations as to the appointment referred to it. If the Executive Council is unable to accept the recommendations made by the Committee, it shall record its reasons and submit the case to the Chancellor for final orders.

24. (1) Subject to the control of the Executive Council, the Establishment Committee shall consist of —

Establishment
Committee.

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) Director General/ Director, Technical Education Department, Haryana;
- (iii) one Dean of institutions to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (iv) two member of the Executive Council nominated by the Vice-Chancellor;
- (v) the Controller of Finance;
- (vi) the Registrar;
- (vii) Expert(s) nominated by the Vice-Chancellor, whenever deemed necessary:

Provided that where there are more than one expert and one of the experts fails to turn up at the time of the meeting after accepting the invitation to attend it, the proceedings of the meeting shall be valid.

(2) The Vice-Chancellor shall preside over at the meeting of the Establishment Committee and the Registrar shall be the Member-Secretary of the Committee.

(3) The nominated members of the Executive Council shall hold office for two years; provided that any such member, who ceases to be the member of the Executive Council, shall cease to be the member of the Establishment Committee.

(4) The Committee shall have the power to recommend to the Executive Council for appointments of non-teaching posts carrying an initial pay of Rs. 6500/- per mensem or more.

Explanation.— "appointment" shall include direct appointment as well as by promotion to all non-teaching posts including posts in the University Library and Sports Department, carrying initial pay of Rs. 8000/- per mensem or more.

Constitution and
function of
Planning Board.

25. (1) The Planning Board shall consist of—
- (a) the Vice-Chancellor;
 - (b) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to Government, Haryana Finance Department or nominee not below the rank of Joint Secretary/Special Secretary;
 - (c) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to Government of Haryana, Technical Education Department not below the rank of Joint Secretary;
 - (d) Director General/ Director, Technical Education Department, Haryana or a nominee not below the rank of Joint Director;
 - (e) the Controller of Finance;
 - (f) not more than seven persons of high standing in education and industry who shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor for a term of two year which may include the following—
 - (i) Nominee of University Grants Commission;
 - (ii) Nominee of All India Council for Technical Education;
 - (iii) Director of one of the National Institute of Design;
 - (iv) Director of one of the Film & Television Institute;
 - (v) Director of one of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research, Government of India;
 - (vi) Director of one of the National Institute of Fashion Technology;

(vii) Five person of high standing in Education and industry;

(g) the Registrar shall be the Member-Secretary of the Board.

(2) The recommendations of the Board shall be implemented after they are approved by appropriate authorities of the University.

(3) It shall advise the planning and development of the University particularly in respect of the standard of education and research in the University.

26. Convocation of the University for conferring of degrees and for other purpose shall be held in such manner as may be laid down by the Executing Council, from time to time, by means of an Ordinance:

Convocation.

Provided that every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation by the Chancellor.

27. There shall be University Teaching Departments duly created by the Academic Council on the recommendation of the Vice-Chancellor in the various Faculties of the University.

Departments.

28. The Departments of Studies shall be assigned to various Faculties by the Academic Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.

Assignments of
Departments of
Studies to faculties.

29. (1) Every Department included in Faculty shall have two Boards of Studies, one for under-graduate studies and the other for post-graduate studies and research.

Boards of studies.

(2) The Board of under-graduate studies shall consist of—

- (i) Dean of the institution;
- (ii) the Chairperson of Departments;
- (iii) one Professor appointed or recognized by the University in the Department, to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation, according to seniority;
- (iv) one Associate Professor and one Assistant Professor appointed or recognized by the University in the Department, to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation, according to seniority;

Provided that no such teacher shall be nominated for two consecutive terms:

Provided further that a teacher who has been nominated as a member of the Faculty shall not be nominated under this sub-clause;

- (v) two outside experts to be nominated by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Chairman of the Department;

Provided that the Executive Council at the request of the Academic Council, may increase the number of members of a Board of under-graduate studies, under sub-clause (v) above.

(3) The Board of post-graduate studies and research shall consist of:—

- (i) Dean of the institution;
- (ii) the Chairperson of Departments;
- (iii) all professor appointed or recognized by the University in the Department;
- (iv) two Associate Professor and two Assistant Professor appointed or recognized by the University in the Department, to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation, according to seniority;
- (v) two teachers including the Heads of the post-graduate Departments in the institutions in the subject concerned with at least ten years teaching experience to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation, according to seniority to be determined by the length of post-graduate teaching experience:
Provided that not more than one such member shall be from the same institution;
- (vi) two outside experts to be nominated by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Chairman of the Department:

Provided that the Executive Council at the request of the Academic Council may increase the number of members of a Board of post-graduate studies, under sub-clause (v) above.

- (4) (i) The Board of under-graduate studies shall recommend to the Academic Council, through the Faculty concerned, courses and syllabi of studies and text books for the various subjects for under-graduate courses and the Board of post-graduate studies shall make such recommendations in respect of the courses for post-graduate classes and research degree.
- (ii) The Board of studies shall also make recommendations to the Academic Council, regarding the appointments of paper-setters and examiners for the under-graduate or the post-graduate courses, as the case may be.

(iii) The Board of studies shall deal with any other matter that may be referred to them by the Faculty. The Chairperson of the Department shall be the Chairperson of the Board. Members, other than ex-officio members, shall hold office for a period of two years:

Provided that a person whose book or any other publication is to be the subject of consideration before the Board, shall not be attached to the Board.

30. A degree, diploma, certificate and other academic distinctions may be withdrawn by the University —

Withdrawal of degree, diploma etc.

- (a) if the candidature of the person concerned has been cancelled or result quashed in accordance with the manner laid down by the Ordinance; or
- (b) if the candidate has misbehaved at a convocation of the University; provided that the question whether a person has misbehaved in terms of this Statute shall be finally decided by the Vice-Chancellor; or
- (c) when sufficient evidence is laid before the Academic Council showing that any person conferred by the University has been convicted of what in their opinion is a serious offence, the Academic Council may recommend to the Executive Council that such a degree or diploma be cancelled.

31. Approval, recognition to a teacher may be withdrawn by the University—

Withdrawal of approval, recognition of teachers.

- (a) if the teacher fails to perform duties in accordance with the manner laid down by the Ordinances; or
- (b) if sufficient evidence is laid before the Executive Council that the teacher has committed an act which in their opinion is a serious offence, the Executive Council may withdraw approval, recognition of the teacher.

32. The University shall provide for the benefit of its officers, teachers and other employees gratuity, ex-gratia grant etc. on the pattern of the Government.

Gratuity, ex-gratia grant etc.

33. The number and value of fellowships, scholarships, medals and prizes to be awarded shall be determined by the Executive Council either on its own initiative or on the recommendations of the Academic Council or the Finance Committee.

Fellowships, scholarships, medals and prizes.

Limitation of
term of
membership.

34. (1) Notwithstanding anything contained in these Statutes, a person, who is a member of any authority or body of the University in his capacity as member of that particular authority or body or as a holder of particular appointment, shall hold office so long only as he continues to be member of that particular authority or body or the holder of that particular appointment, as the case may be:

Provided that a teacher-member of any authority or body of the University who resigns his service or proceeds on leave for six months or more shall cease to be a member of the respective body and a substitute member shall be appointed. If the period of his leave is less than six months, his membership shall be held in abeyance till his return or the expiry of the period of six months, whichever is later. No substitute member shall be appointed or elected, where the membership is held in abeyance.

(2) If a teacher is on leave for a period of six months or more, he shall not be eligible for nomination or re-election for that particular vacancy. He shall however, be eligible for nomination or election in a vacancy which may arise after his return from leave.

Termination of
membership etc.

35. Notwithstanding anything contained in these Statutes or the Ordinances, no person, who has been convicted of any offence involving moral turpitude or has been dismissed for misconduct from a Government or Semi-Government institution or from a University or an educational institution of any kind, shall be eligible to become or to continue as a member of any authority of the University or of any committee appointed by the University. A person under suspension shall not be allowed to sit in any meeting of above authorities or committees during the period of his suspension.

Disqualification
for membership.

36. If a person is debarred by the Academic Council from any work of the University on account of any kind of malpractice on his part in connection with a University examination, such a person shall be disqualified to become, or to continue as a member of any body or authority of the University so long as the bar lasts.

Delegation of
administrative
and financial
powers.

37. (1) The officers, teachers and other employees of the University may exercise, subject to the control of the Vice-Chancellor and the superior officers concerned, such administrative and financial powers, as the Executive Council may delegate through Ordinances, Rules, Regulations or by resolutions adopted by it.

(2) The Vice-Chancellor or the Registrar, with the approval of the Vice-Chancellor, may delegate to an officer, teacher or any other employee of the University such power as he considers necessary which have been vested in them by the Statutes, Ordinances and Regulations.

38. (1) Notwithstanding anything contained in the Statutes, the Executive Council may invite a person of high academic distinction and professional attainments to accept a post of professor in the University, on such terms and conditions, as it may deem fit and on the person agreeing to do so, appoint him to the post.

Special mode of
appointment.

(2) The Executive Council may appoint a teacher or any other academic staff working in any other University or Organization in accordance with the manner laid down in the Ordinances.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government of Haryana is committed to development and welfare of people. It is continuously striving to find new and innovative avenues to further the human resource development of the people which can act as a catalyst for overall development of the State. Towards this end, the State has decided to create educational opportunities in the area of Performing and Visual Arts. Hence, the State Government established world class institutes at Rohtak, offering new disciplines in these fields for young and aspiring students. To nurture this initiative a unique campus was setup for offering degree level academic programmes in Designs, Film & TV, Fine Arts and Urban Planning & Architecture by the Department of Technical Education, Haryana.

The vision is to establish these institutes as centres of excellence in their respective areas. They shall act as a catalyst for development of art & design industry, undertake research in urban planning, boost experimental & regional cinema, act as mentor to neighboring institutes and undertake faculty development programmes for the academia & the corporate sector. These institutes have functional, financial, academic & managerial autonomy and are administered through Government Technical Institution Society, Rohtak with independent Board of Governors for all the 4 Institutes. In the first phase undergraduate programmes are being offered and in subsequent phases, Masters and Research programmes shall also be offered.

The courses offered in the above said Institutions are as below:

State Institute of Design, established in 2011

Sr. Course No.	Duration in Years	Intake Capacity
1. Apparel Design	4	20
2. Textile Design	4	20
3. Product Design	4	20
4. Lifestyle Accessories Design	4	20

State Institute of Film & Television, established in 2011

Sr. Course No.	Duration in Years	Intake Capacity
1. Acting	3	12
2. Cinematography	3	12
3. Direction	3	12
4. Editing	3	12
5. Sound Recording & Sound Design	3	12

State Institute of Fine Arts, established in 2011

Sr. Course No.	Duration in Years	Intake Capacity
1. Applied Art	4	20
2. Painting	4	20
3. Print making	4	20
4. Sculpture	4	20
5. Animation & Multi Media	4	20
6. Interior Design	4	20

State Institute of Urban planning & Architecture, established in 2012

Sr. Course No.	Duration in Years	Intake Capacity
1. Architecture	5	40

The Campus has been established over a piece of land measuring 22 acres in Sector-6, Rohtak. Four blocks having approximately one lakh square feet covered area for each institution namely: (i) State Institute of Fine Arts, (ii) State Institute of Urban Planning & Architecture, (iii) State Institute of Design and (iv) State Institute of Film & Television, have already been constructed. Apart from the four blocks, a common utility block having facilities such as Auditorium, Central Library, Conference Room, Computer Centre etc has also been constructed. The total capital expenditure on the construction of these five blocks is approximately more than Rs. 200 crores. Another site of 9.77 acres has been allotted by HUDA for the residential campus comprising separate hostel facilities for boys & girls along with housing accommodation for the faculty & administrative staff at Sector-6, Rohtak adjacent to the institutional campus. HUDA has also given consent for another piece of land measuring 4.2 acres for expansion of the institutions. As of now, land measuring approximately 36 acres is available with the aforesaid institutions. 222 teaching and non-teaching posts have been sanctioned for the integrated campus.

Over a period of last three years, in view of specialized nature of courses/ programmes, it has been felt that academic autonomy is required to decide various academic issues like curriculum, instructional material, pedagogy, techniques of students' evaluation etc. Similarly, administrative autonomy is also required for these Institutes to manage their financial, administrative and procurement matters. Autonomy shall stimulate and encourage initiative and development of students and teaching faculty of these institutes and the institutions themselves. Bringing these institutions under the umbrella of University of Performing and Visual Arts will help these institutes in creating professionals of excellence in the field of

Fine Arts, Design, Urban Planning and Architecture and Film and Television to meet diverse needs of Industry and Trade.

With the available infrastructural and human resource facilities and objectives to impart world class education in the field of Performing and Visual Arts and also to provide research facilities in these areas and to act as catalyst for up gradation of economy of the region, these four institutes of integrated campus are to be upgraded to a State University of Performing and Visual Arts, Rohtak by enacting suitable legislation.

MAHENDER PARTAP SINGH,
Technical Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 13th July, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 30-एच.एल.ए.

राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक विधेयक, 2014 डिजाइन, ललित कला, फिल्म और टेलीविजन, नगरीय योजना और वास्तुकला के नये सीमान्तों पर फोकस सहित उच्चतर शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान को सुकर बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए और इन क्षेत्रों और सम्बन्धित क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए चार संस्थान अर्थात् राज्य ललित कला संस्थान, राज्य डिजाइन संस्थान, राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान और राज्य नगरीय और वास्तुकला संस्थान को मिलाकर अग्रज विश्वविद्यालय के रूप में सरकारी तकनीकी संस्था (संस्थाओं) सोसाइटी, रोहतक के एकीकृत कैंम्पस को उन्नत करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मातलेखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक संक्षिप्त नाम तथा अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है। प्रारम्भ।
- (2) यह तुरन्त लागू होगा।
2. इस अधिनियम में तथा इसके अधीन बनाये गये सभी परिनियमों, अध्यादेशों तथा परिभाषार विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" से अभिप्राय है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ;
 - (ख) "नियत दिन" से अभिप्राय है, दिन जिसको यह अधिनियम लागू होगा;
 - (ग) "वास्तुकला परिषद्" से अभिप्राय है, वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 20) की धारा 3 के अधीन गठित परिषद् ;
 - (घ) "वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्" से अभिप्राय है, भारत सरकार का अभिकरण, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ;

- (ड) "कर्मचारी" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा सभी अन्य कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं ;
- (च) "फीस" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से संगृहित फीस चाहे किसी भी नाम से हो जो प्रत्यपर्णीय नहीं है ;
- (छ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (ज) "प्रदर्शन और दृश्य कला" से अभिप्राय है, कला के रूप जैसे ललित कला, डिजाइन, नगरीय योजना और वास्तुकला, फिल्म और टेलीविजन, चीनी-मिट्टी, ड्राईंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, दस्तकारी, फोटोग्राफी, वीडियो, फिल्म मेकिंग और इसमें दृश्य कला के साथ-साथ अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों के रूप भी शामिल हैं ;
- (झ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची ;
- (ञ) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;
- (ट) "सोसाइटी" से अभिप्राय है, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 21 के अधीन संख्या 01 वर्ष 2007-08, दिनांक 28.06.2007 द्वारा पंजीकृत सरकारी तकनीकी संस्था सोसाइटी, रोहतक ;
- (ठ) "परिनियमों", "अध्यादेशों" तथा "विनियमों" से अभिप्राय है, इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम ;
- (ड) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन यथा निगमित राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक ;
- (ड) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम, 3), की धारा 4 के अधीन स्थापित आयोग ;
- (ण) "विश्वविद्यालय अध्यापक" से अभिप्राय है, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा प्रदान करने या अनुसंधान का संचालन करने के लिये नियुक्त किये जायें और जो अध्यादेशों द्वारा अध्यापकों के रूप में पदाभिहित किये गये हैं ।

निगमन।

3. (1) कुलाधिपति, कुलपति, संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के सदस्यों और सभी ऐसे व्यक्तियों से, जो इसके बाद, ऐसे अधिकारी अथवा सदस्य बनें या नियुक्त किये जायें, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता पर बने रहें, मिलकर राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक के नाम से निगमित निकाय होगा ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उसे सम्पत्ति अर्जित, धारण तथा व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी, और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा या चलाया जा सकेगा।

4. (1) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय से भिन्न कोई भी व्यक्ति या संस्था, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उसको सौंपे गए ज्ञान के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कोई उपाधि, उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र प्रदान, अनुदत्त या जारी नहीं करेगा/करेगी या स्वयं को ऐसी कोई उपाधि, उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र प्रदान, अनुदत्त या जारी करने के लिये अधिकार प्रकट नहीं करेगा/करेगी जो उस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान, अनुदत्त या जारी की गई किसी उपाधि, उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र के समरूप हो या उसकी मिलती जुलती नकल का हो।

अप्राधिकृत संस्थाओं द्वारा उपाधियों, उपाधि-पत्रों या प्रमाण-पत्रों के प्रदान किये जाने, अनुदत्त किये जाने या जारी किये जाने पर वर्जन।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन अपराध होगा।

(3) जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो, वहां अपराध किये जाने के समय, संस्था के कार्य संचालन के लिये इसका कार्यभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, अपराध का दोषी समझा जायेगा और विधि के अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का दायी होगा।

(4) उप-धारा (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो तथा यह प्रमाणित हो गया है कि अपराध संस्था के किसी भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है अथवा अपराध का किया जाना उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा तथा विधि अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का दायी होगा।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिये “संस्था” से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या अन्य व्यक्ति संगम भी शामिल है।

5. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सोसाइटी के स्वामित्वाधीन उसमें सभी सम्पत्तियां, चल तथा अचल तथा उसके सभी हित चाहे किसी स्वरूप तथा किस्म के हों, इसके अधीन चलाए जा रहे पाठ्यक्रम तथा उक्त संस्थाओं में सृजित तथा भरे गये सभी पद, कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों का सम्पूर्ण अमला विश्वविद्यालय में निहित होगा :

आस्तियां तथा दायित्वों का निहित होना।

परन्तु अधिकारियों तथा कर्मचारियों का केवल वह अमला जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित अर्हताएं यदि कोई हों, पूरी करता हो, लिया जाएगा तथा यदि कोई व्यक्ति किसी पद के लिए अर्हताएं पूरी नहीं करता जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अर्हताएं अधिकथित की हों तब वह उस पद के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा जिसके लिए वह अर्हताएं पूरी करता है।

(2) विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं तथा दायित्व, की गई सभी संविदाएं तथा किये जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले तथा बातें विश्वविद्यालय द्वारा, इसके साथ अथवा उसके लिए उपगत किए गये, की गई अथवा किये जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी।

विश्वविद्यालय की
शक्तियां तथा कृत्य।

6. विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

- (क) ललित कला, डिजाइन, नगरीय योजना और वास्तुकला, फिल्म और टेलीविजन, के नये सीमान्तों सहित ललित कला, डिजाइन, नगरीय और वास्तुकला, फिल्म और टेलीविजन के उभरते हुए क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान को सुकर बनाने और उन्नत करने और इन क्षेत्रों और सम्बन्धित क्षेत्रों में उत्कृष्टता भी प्राप्त करना ;
- (ख) परीक्षाएं लेना ललित कला, डिजाइन, नगरीय योजना और वास्तुकला, फिल्म और टेलीविजन, के नये सीमान्तों सहित ललित कला, डिजाइन, नगरीय योजना और वास्तुकला, फिल्म और टेलीविजन के उभरते हुए क्षेत्रों में उपाधियां, उपाधि-पत्र तथा अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां अथवा पदवियां देना और इन क्षेत्रों और सम्बन्धित क्षेत्रों इत्यादि में उत्कृष्टता भी प्राप्त करना ;
- (ग) अनुमोदित व्यक्तियों को परिनिघमों में अधिकथित रीति में सम्मानिक उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना ;
- (घ) पुरस्कार, पदक, अनुसंधान छात्र-वृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्तियां तथा अध्येता-वृत्तियां प्रदान करना ;
- (ङ) सरकार से उपहार, दान या धर्मदान प्राप्त करना तथा अंतरकों, दाताओं, वसीयतकर्ताओं, जैसी भी स्थिति हो, से उपहार, दान प्राप्त करना तथा चल या अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना और विश्वविद्यालय के कल्याण के लिये इस प्रकार प्राप्त दानों से ऐसी कायिक निधि का सृजन करना;
- (च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्रधानाचार्य-पद, आचार्य-पद, सहआचार्य-पद, सहायक आचार्य-पद संस्थित करना और किसी प्रकार के अन्य पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना ;
- (छ) भारत तथा विदेश में, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समान उद्देश्यों वाली शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य संस्थाओं को ऐसी रीति में सहयोग देना जो उनके सामूहिक लक्ष्यों में सहायक हों ;
- (ज) ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विश्वविद्यालय के सदस्य न हों, पत्राचार तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों सहित शिक्षा व्यवस्था करना, जो वह अवधारित करे;

- (झ) सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;
- (ञ) विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर संस्थाओं के विद्यार्थियों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन करना ;
- (ट) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए, कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति जिसमें न्यास तथा विन्यास सम्पत्तियां शामिल हैं, को अर्जित करना, धारण करना, प्रबन्ध करना, पट्टे पर देना या निपटान करना ;
- (ठ) अल्प तथा दीर्घकालिक दोनों आधारों पर, विषयों, विशेष अध्ययन क्षेत्रों, शिक्षा स्तरों तथा मानव शक्ति के प्रशिक्षण के अनुसार राज्य तथा देश की जरूरतों का मूल्यांकन करना तथा उन जरूरतों को पूरा करने के लिये आवश्यक कार्यक्रम आरम्भ करना ;
- (ड) डिजाईन, प्रदर्शन और दृश्य कला, वास्तुकला और प्रबन्धन अध्ययन में प्रवृत्तियों के गहन ज्ञान पर आधारित प्रशिक्षण, अनुसंधान, उच्च अध्ययन और कार्यक्रम आयोजित करना, जो विश्वविद्यालय उचित समझे ;
- (ढ) ऐसे अनुसंधान, डिजाईन तथा विकासात्मक क्रियाकलापों को उन्नत करना जो राज्य की सामाजिक जरूरतों तथा विकास कार्यक्रमों से सम्बन्ध रखते हों ;
- (ण) पूरक सुविधाएं देने के लिये उद्योगों तथा सरकारी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये उपाय प्रारंभ करना ;
- (त) ज्ञान देने, प्रशिक्षण का प्रबंध करने तथा पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य शिक्षा सम्बन्धी सामग्रियों को तैयार करने में निरन्तर प्रयोग की व्यवस्था करना;
- (थ) शिक्षात्मक उपायों में विषयक के निरन्तर मूल्यांकन तथा पुनः अनुकूलन के उत्तरोत्तर प्रवेश के लिये प्रबन्ध करना ;
- (द) अपने विद्यार्थियों में उद्यम सम्बन्धी योग्यताओं को बढ़ावा देना ;
- (ध) ललित कला, डिजाइन, नगरीय योजना और वास्तुकला, फिल्म और टेलीविजन और इसके उत्तरदायित्व और सोसाइटी की सेवा की अपेक्षा और व्यवसाय के अवसरों के बारे में जनता को शिक्षित करना ;

7. विश्वविद्यालय लिंग, मूलवंश, पंथ, जाति, धर्म अथवा वर्ग को विचार में लाये बिना सभी व्यक्तियों के लिये खुला होगा; तथा सदस्यों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों को प्रविष्ट अथवा नियुक्त करने में अथवा किसी अन्य सम्बन्ध में, चाहे जो भी हो, धर्म, विश्वास अथवा वृत्ति के बारे में, कोई भी परीक्षा या शर्त अधिरोपित नहीं की जायेगी और ऐसा कोई भी धर्मदान

विश्वविद्यालय का सभी मूलवंशों, वर्गों, जातियों तथा पंथों के लिये खुला होना।

स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की राय में, इस उपबन्ध के भाव तथा उद्देश्यों के विरुद्ध शर्तें अथवा बाध्यतायें आती हों :

परन्तु इस धारा में दी गई कोई भी बात विश्वविद्यालय को समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, विशेष पिछड़े वर्ग इत्यादि के बारे में कोई विशेष उपबन्ध करने से रोकने वाली नहीं समझी जायेगी।

विश्वविद्यालय का शिक्षण।

8. विश्वविद्यालय में सारा शिक्षण, विश्वविद्यालय द्वारा तथा उसके नाम पर इस निमित्त बनाए गये परिणियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुसार चलाया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(i) कुलाधिपति ;

(ii) कुलपति ;

(iii) वित्त नियंत्रक ;

(iv) अध्यक्ष ;

(v) कुल-सचिव ; तथा

(vi) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिणियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किये जायें।

कुलाधिपति।

10. (1) हरियाणा का राज्यपाल अपने पदाभिधान से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा।

(3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, उपाधियाँ प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह तथा संसद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(4) कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे -

(i) विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निर्देश करे, उसके निर्माणों प्रयोगशालाओं तथा उपकरणों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, किये गए अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवाना; तथा

(ii) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के वित्त प्रशासन से सम्बन्धित किसी मामले के बारे में वैसी ही रीति में की जाने वाली जांच करवाना।

(5) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, कराये जाने वाले निरीक्षण या जांच के अपने आशय का विश्वविद्यालय को नोटिस देगा और ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय को कुलाधिपति को ऐसा अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे।

(6) विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, कुलाधिपति ऐसा निरीक्षण या जांच करवा सकता है जो उपधारा (4) में निर्दिष्ट है।

(7) जहां कुलाधिपति द्वारा कोई निरीक्षण या जांच करवाई गई हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई किये जाने का अधिकार होगा।

(8) कुलाधिपति, यदि विश्वविद्यालय या उस द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के बारे में निरीक्षण या जांच की जाती है, ऐसे निरीक्षण या जांच के निष्कर्ष के प्रतिनिर्देश से, कुलाधिपति को सम्बोधित करेगा और कुलाधिपति, कुलाधिपति के दृष्टिकोण तथा कुलाधिपति द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार उस पर की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को सूचित करेगा।

(9) कार्य परिषद्, कुलाधिपति को कुल-सचिव के माध्यम से, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, के बारे में, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के फलस्वरूप प्रस्तावित करती है या कर चुकी है, संसूचित करेगी।

(10) जहां कार्य परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार कार्रवाई नहीं करती है, वहां कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गए किसी स्पष्टीकरण या दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो वह ठीक समझे और कार्य परिषद् ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

(11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को निष्प्रभाव कर सकता है, जो उसकी राय में इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप न हों :

परन्तु कोई ऐसा आदेश करने से पहले, वह विश्वविद्यालय से कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाये और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण बता दिया जाये, तो वह उस पर विचार करेगा।

(12) कुलाधिपति, किसी भी समय, विश्वविद्यालय से इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है या निर्देश दे सकता है।

(13) उपधारा (11) तथा (12) के अधीन कुलाधिपति द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां, किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जायेंगी।

(14) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, जो कार्य परिषद् या कुलपति के निर्णय द्वारा उसके विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्यवाही के बारे में व्यथित हो, कुलाधिपति को अभ्यावेदन, ऐसी शीति में, सम्बोधित कर सकता है जो परिणियमों द्वारा दिहित की जाये और कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(15) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी, जो परिणियमों द्वारा विहित की जायें।

कुलपति।

11. (1) सरकार, अध्यापक के रूप में हरियाणा सरकार के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती तथा कार्य परिषद् तथा प्रदर्शन और ललित कला के क्षेत्र में विख्यात प्रत्येक संस्थाओं के एक नामनिर्देशिती को मिलाकर चयन समिति गठित करेगी, जो वर्णानुक्रम में कम से कम तीन नामों का पैल तैयार करेगी, जिसमें से कुलाधिपति, सरकार के परामर्श पर, कुलपति नियुक्त करेगा। कुलपति की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें सरकार के परामर्श पर, कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जायेंगी। विशिष्ट क्षेत्रों के दृष्टिगत कुलपति ललित कला, डिजाइन, नगरीय योजना तथा वास्तुकला, फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्रों से कम से कम आचार्य की पदवी का विख्यात व्यक्तित्व वाला हो। कुलपति केवल शैक्षणिक तर्कों पर नियुक्त किया जाएगा। वह नैतिक मूल्य जिसके लिए विश्वविद्यालय उसकी शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक सक्षमता और नैतिक महत्ता द्वारा विश्वविद्यालय को भेदत्व उपलब्ध करवाने हेतु समर्थन तथा योग्यता की प्रतिबद्धता रखने वाला प्रख्यात शिक्षाविद् होगा।

परन्तु संप्रदत्तक कुलपति राज्य सरकार की सिफारिशों पर, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा जिसे एक अवधि से अधिक के लिये नवीकृत नहीं किया जा सकता।

परन्तु वह इस तथ्य कि उसकी अवधि समाप्त नहीं हुई है को विचार में लाए बिना अठसठ वर्ष की आयु का होने पर पद पर नहीं रहेगा।

(3) कुलाधिपति, सरकार के परामर्श पर, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार की जाने वाली कोई जांच करवा सकता है तथा कुलपति को पद से हटा सकता है, यदि वह, ऐसी जांच पर, ऐसे व्यक्ति के रूप में ऐसे पद पर प्रत्यक्ष रूप से बने रहने के अयोग्य व्यक्ति पाया जाता है।

(4) यदि कुलपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी अस्थायी अशक्तता के फलस्वरूप अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, या कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण रिक्त हो जाये तो कुलाधिपति तब तक कुलपति के कर्तव्यों के लिए व्यवस्था करेगा जब तक विद्यमान कुलपति अपना पद पुनः ग्रहण नहीं कर लेता, या जब तक कोई नियमित कुलपति नियुक्त नहीं कर दिया जाता, जैसी भी स्थिति हो।

(5) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी तथा शिक्षा अधिकारी होगा और उसका विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के निर्णयों को प्रभावी करेगा।

(6) कुलपति, यदि उसकी राय हो कि किसी मामले पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, संकाय, विभाग या पद के सृजन अथवा समाप्ति वाले मामलों तथा किसी कर्मचारी की नियुक्ति या उसे हटाये जाने वाले मामलों के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है :

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने से पहले कुलपति कारण अभिलिखित करेगा कि मामले में सम्बद्ध प्राधिकरण की बैठक तक इन्तजार क्यों नहीं किया जा सकता :

परन्तु यह और कि यदि सम्बद्ध प्राधिकरण की राय है कि ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी भी व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई किसी कार्रवाई से व्यथित है, जिसे जिसको ऐसी कार्रवाई पर निर्णय उसे संसूचित किया जाता है, से एक मास के भीतर कार्य परिषद् के पास प्रतिवेदन करने का अधिकार होगा और उस पर कार्य परिषद्, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकती है, उपान्तरित कर सकती है या उलट सकती है।

(7) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें।

12. (1) कुल-सचिव सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। कुल-सचिव।
कुल-सचिव को सेवा के निबन्धन तथा शर्तें कुलपति द्वारा, सरकार के परामर्श पर, अध्वारित की जाएंगी।

(2) कुल-सचिव, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह प्रत्यक्ष रूप से कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण के अधीन कार्य करेगा।

13. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियाँ तथा शून्य अन्य अधिकारी।
ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

14. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :-

विश्वविद्यालय के
प्राधिकरण।

- (i) संसद ;
- (ii) कार्य परिषद् ;
- (iii) शिक्षा परिषद् ;
- (iv) वित्त समिति ;

- (v) संकाय ;
- (vi) योजना बोर्ड ; और
- (vii) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किये जायें।
- संसद। 15. (1) संसद का गठन तथा इसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी।
- (2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात् :-
- (क) विश्वविद्यालय की मुख्य नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिये उपाय सुझाना ;
- (ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक बजट, वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना तथा संकल्प पारित करना ;
- (ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे मामले के बारे में मन्त्रणा देना जो उसे मन्त्रणा के लिये निर्दिष्ट किया जाये ; और
- (घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- कार्य परिषद्। 16. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा।
- (2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- शिक्षा परिषद्। 17. (1) शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शिक्षा निकाय होगा और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की सभी शिक्षा नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
- (2) शिक्षा परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- संकाय। 18. संकायों के गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- वित्त समिति। 19. वित्त समिति का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि, इसकी शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- योजना बोर्ड। 20. शिक्षा योजना बोर्ड का गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

21. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी परिनियम तथा उनका क्षेत्र।
या किन्हीं विषयों के लिये उपबन्ध किये जा सकते हैं, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों जो समय-समय पर गठित किये जायें, का गठन, शक्तियां तथा कृत्य ;
- (ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अधिकारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति का ढंग, शक्तियां तथा कर्तव्य ;
- (ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिनमें उनके लाभ के लिये पेंशन या भविष्य निधि या बीमा योजना के लिये उपबन्ध शामिल हैं ;
- (घ) सम्मानिक उपाधियां प्रदान करना ;
- (ङ) संकायों तथा विभागों की स्थापना तथा समाप्ति ;
- (च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र-सहायतावृत्तियां, पदक तथा पुरस्कार संस्थित करना ;
- (छ) विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखना ;
- (ज) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन, और
- (झ) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित किये जाने हैं अथवा परिनियमों द्वारा उपबन्धित किये जा सकते हैं।

22. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, विश्वविद्यालय के परिनियम वे होंगे, जो परिनियम कैसे बनाएं।
अनुसूची में दिए गये हैं :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले बनाए गये परिनियमों के अधीन गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन तब तक सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करते रहेंगे, जब तक ऐसे प्राधिकरण ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची में दिए गए परिनियमों के अनुसार गठित नहीं किए जाते हैं।

(2) सरकार या कार्य परिषद्, इस धारा में, इसमें, इसके बाद, उपबन्धित रीति में, समय-समय पर, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या परिनियमों का संशोधन अथवा निरसन कर सकती है :

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की हैसियत, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को तब तक नहीं बनाएगी, संशोधित या निरसित नहीं करेगी, जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो, और इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी भी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(3) शिक्षा परिषद्, कार्य परिषद् को शैक्षणिक विषयों से सम्बन्धित किसी परिनियम के प्रारूप को कार्य परिषद् के विचार के लिये प्रस्तावित कर सकती है।

(4) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियम में परिवर्धन अथवा किसी परिनियम के किसी संशोधन अथवा निरसन के लिये कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो इसे स्वीकृत, अस्वीकृत कर सकता है अथवा इस पर आगे विचार किये जाने के लिये इसे लौटा सकता है। सरकार या कार्य परिषद् द्वारा पारित किसी परिनियम की तब तक विधिमान्यता नहीं होगी, जब तक इसे कुलाधिपति द्वारा अनुमति न दे दी गई हो।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति या तो स्वप्रेरणा से या सरकार की मन्त्रणा पर, उसके द्वारा निर्निर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में, कार्य परिषद् को परिनियमों को बनाने, संशोधित करने या निरसित करने का निर्देश दे सकता है और यदि कार्य परिषद्, इसकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असाफल रहती है, तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में कार्य परिषद् द्वारा अपनी अक्षमता के लिये ससूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद परिनियम उचित रूप से बना सकता है, संशोधित कर सकता है या निरसित कर सकता है।

अध्यादेश तथा उनका क्षेत्र।

23. इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये उपबन्ध किया जा सकता है,

अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा उनका इस रूप में नामावली में दर्ज किया जाना ;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, उपाधि-पत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन ;
- (ग) शर्तें, जिनके अधीन विद्यार्थियों को उपाधि अथवा उपाधि-पत्र के पाठ्यक्रमों तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जावेगा तथा ऐसी उपाधियों और उपाधि-पत्रों के लिये पात्रता ;
- (घ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन के लिये तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और उपाधि-पत्रों में प्रवेश के लिये प्रभारित की जाने वाली फीसें; तथा आगे फीस ढांचे को उत्तरोत्तर इस प्रकार लचीला बनाना कि जहां तक हो सके पाठ्यक्रम स्वतः वित्तपोषित हो सके ;
- (ङ) अध्येता-वृत्तियां, छात्र-वृत्तियां, छात्र-सहायतावृत्तियां, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें ;
- (च) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षकों तथा अनुसूचीमकों की पदावधि तथा नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्य सम्मिलित हैं ;
- (छ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें ; तथा

(ज) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा बनाए जाने हैं, अथवा जो अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किये जायें।

24. (1) अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा बनाये, संशोधित, निरसित अथवा परिवर्धित किये जायेंगे : अध्यादेश कैसे बनाए।

परन्तु ऐसा कोई भी अध्यादेश जो—

- (i) विद्यार्थियों के प्रवेश या उनके नामांकन अथवा विश्वविद्यालय परीक्षाओं के बराबर मान्यता प्रदान करने के लिए विहित की जाने वाली परीक्षाओं को प्रभावित करने वाला हो ; और
- (ii) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें, ढंग या उनके कर्तव्यों को या परीक्षाओं अथवा किन्हीं पाठ्यक्रमानुसार अध्ययनों के संचालन या स्तर को प्रभावित करने वाला हो.

तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक ऐसे अध्यादेश का प्रारूप शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो।

(2) कार्य परिषद् उप-धारा (1) के अधीन शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को अपने सुझावों सहित या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में, पुनर्निर्धार के लिए शिक्षा परिषद् को लौटा सकती है :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित प्रारूप को स्वयं संशोधित नहीं करेगी। तथापि, वह ऐसे प्रारूप को, जब उसे शिक्षा परिषद् द्वारा दूसरी बार प्रस्तुत किया जाये, यदि उपर्युक्त नहीं पाया जाता है, तो अस्वीकार कर सकती है।

(3) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश, ऐसी तिथि से प्रभावी होंगे जो वह निर्दिष्ट करे और बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश कुलाधिपति को, यथाशीघ्र, संसूचित किया जायेगा।

25. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से विनियम। संगत ऐसे विनियम बना सकते हैं, जो —

- (क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करें ; और
- (ख) ऐसे सभी मामलों का उपबन्ध करने के लिए, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के माध्यम से विनियमों द्वारा विहित किये जाने हैं।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को बैठकों की तिथियों तथा बैठकों में विचार किये जाने वाले कार्य की सूचना देने के लिये और बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिये उपबन्ध करने वाले विनियम बनायेगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

26. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान बनाये गये विस्तृत कार्यक्रमों, नीतियों तथा वित्त व्यवस्थाओं, परिनियमों तथा अध्यादेशों के संशोधन का विवरण देते हुए, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जायेगी और संसद को ऐसी तिथि को या इसके बाद, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, प्रस्तुत की जायेगी और संसद रिपोर्ट पर अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगी।

निधियां तथा लेखे।

27. (1) विश्वविद्यालय की सामान्य निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित जमा होंगे—

(क) फीसों, अनुदानों, दानों, जुर्माने, तथा उपहारों से उसकी आय, यदि कोई हो ;

(ख) केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अथवा सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन ऐसे प्राधिकरण, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान ;

(ग) विन्यास तथा अन्य प्राप्तियां।

(2) विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य निधियां होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(3) विश्वविद्यालय की निधियों तथा सभी धन की ऐसी रीति में व्यवस्था की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(4) सरकार, प्रत्येक वर्ष, अध्ययन तथा अनुसंधान को सुकर बनाने तथा उन्नत करने के लिए सहायक अनुदान की व्यवस्था कर सकती है।

वार्षिक लेखे।

28. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी संपरीक्षा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार तथा पन्द्रह मास के अनधिक अन्तरालों पर निदेशक, स्थानीय लेखा-परीक्षा, हरियाणा या किसी अन्य लेखा-परीक्षक जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये, द्वारा की जायेगी। वार्षिक लेखे, संपरीक्षा हो जाने के बाद, हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और वार्षिक लेखों की प्रति निदेशक, स्थानीय लेखा-परीक्षा, हरियाणा अथवा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट सहित, कार्य परिषद् की किन्हीं टिप्पणियों के साथ संसद तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी। वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा की गई किन्हीं टिप्पणियों को संसद के ध्यान में लाया जायेगा तथा संसद की टिप्पणियां, यदि कोई हो, कार्य परिषद् द्वारा विचार किये जाने के बाद, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेंगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र कुलाधिपति को उनके प्रस्तुतीकरण के समय, सरकार को भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

अधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा शर्तें।

29. (1) कुलपति के सिवाय, प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी तथा विश्वविद्यालय

और किसी अधिकारी या अध्यापक के बीच संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद सम्बन्धित अध्यापक या अधिकारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर, माध्यस्थम् अधिकरण को जो कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य तथा संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिनी से गठित होगा, निर्दिष्ट किया जायेगा। अधिकरण के सदस्यों के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा, और अधिकरण द्वारा निर्णीत विषय के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं हो सकेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक अनुरोध, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 26), के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिये निवेदन समझा जायेगा।

30. (1) विश्वविद्यालय, जैसा वह उचित समझे, अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा पेंशन, भविष्य निधि अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये पेंशन, भविष्य निधि तथा बीमा निधि संस्थित करेगा। और बीमा निधि।

(2) जहां कोई भविष्य निधि तथा बीमा निधि इस प्रकार गठित की गई है, वहां उसे भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 19), के उपबन्ध लागू होंगे।

31. इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कोई कार्यवाही केवल—
रिक्तियों के कारण कार्यवाहियों का अविधिमाम्य न होना।

(क) प्राधिकरण या निकाय के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन अथवा नियुक्ति में किसी त्रुटि या अनियमितता ; या

(ग) मामले की मैरिट को प्रभावित न करने वाले ऐसे कार्य या कार्यवाही में किसी त्रुटि या अनियमितता,

के आधार पर अविधिमाम्य नहीं होगी।

32. यदि कोई सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या ऐसा सदस्य बने रहने का हकदार है, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।
कतिपय विवादों का कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाना।

33. यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की पहली बैठक के सम्बन्ध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबन्धों को पहली बार कार्यरूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, किसी भी समय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन किये जाने से पहले, आदेश द्वारा, कोई नियुक्ति कर सकती है या ऐसी कोई बात कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से जहां तक हो सके संगत हो, जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों और प्रत्येक ऐसा आदेश, उसी प्रकार प्रभावी होगा मानो ऐसी नियुक्ति या कार्यवाही इस अधिनियम में उपबंधित रीति में की गई थी।
कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

अध्यापन और
अध्यापनेत्तर पदों
का सृजन।

34. इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर पद सृजित नहीं करेगा या अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित-नहीं करेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन सरकार को जब कभी आवश्यकता हो विश्वविद्यालय के कार्य को सुचारु रूप से चलाने तथा विकास के लिए अपनी शक्तियां कुलाधिपति या कार्य परिषद् को प्रत्यायोजित कर सकती है।

सदभावपूर्वक की गई
कार्रवाई के लिये
संरक्षण।

35. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिये आशयित हो, कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

अनुसूची

(सज्य प्रदर्शन और दृश्य कला रोहतक विधेयक, 2014 के परिनियम)

[देखिये धारा 24]

1. (i) कुलपति, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, उपाधियां प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षान्त समारोहों और संसद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसे सम्बोधित करने का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो, वहां पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य।
- (ii) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और वह ऐसी पालना सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगा।
- (iii) कुलपति को संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा वित्त समिति तथा विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की बैठकें बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।
- (iv) कुलपति, विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णयों को कार्यरूप देगा।
- (v) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों या निकायों में नाम-निर्देशन के लिये वरिष्ठता के बारे में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
2. (i) कुल-सचिव, कार्य परिषद् तथा संकायों का पदेन सचिव होगा किन्तु इन प्राधिकरणों में से किसी का भी सदस्य नहीं समझा जायेगा, और वह संसद और शिक्षा परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा।
कुल-सचिव।
- (ii) जब कुल-सचिव का पद रिक्त हो जाता है या जब कुल-सचिव बीमारी के कारण, अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तो जब तक सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियमित नियुक्ति नहीं की जाये, पद के कर्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाए जायेंगे, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिये अस्थाई रूप से नियुक्त करे :

परन्तु जहां रिक्ति के विरुद्ध अस्थाई व्यवस्था की गई है, तो ऐसी अस्थाई व्यवस्था के लिए अवधि छह मास से अधिक नहीं होगी और कुल-सचिव की नियुक्ति इस अवधि के भीतर की जाएगी।

(iii) कुल-सचिव का कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति, जो कुलपति उसके प्रभार में सौंपे, का अभिरक्षक होगा ;
- (ख) संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, संकायों और विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति की बैठकें बुलाने के सभी नोटिस जारी करेगा ;
- (ग) संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखेगा ;
- (घ) संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा संकायों के शासकीय पत्र व्यवहार का संचालन करेगा;
- (ङ) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त की प्रतियां उनके जारी होते ही यथाशीघ्र भेजेगा ; तथा
- (च) ऐसे अन्य कर्तव्य जो कुलपति द्वारा, समय-समय पर, उसे सौंपे जायें, का पालन करेगा।

(iv) कुल-सचिव को विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा शैक्षणिक अमले, जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें, को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों को चेतावनी देने या परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित करने या वेतनवृद्धियां रोकने तथा लंबित जांच के दौरान उन्हें निलम्बित करने की शक्ति होगी:

परन्तु तब तक ऐसी कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

(v) खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने के लिये कुल-सचिव के किसी आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।

(vi) यदि जांच से प्रकट होता है कि दण्ड कुल-सचिव की शक्तियों से परे का है, तो कुल-सचिव जांच के निष्कर्ष पर अपनी सिफारिशों सहित कुलपति को रिपोर्ट करेगा :

परन्तु कुलपति के किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी।

(vii) कुल-सचिव विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने तथा अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी होगा और ऐसी हैसियत में कार्य करेगा जब विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरण द्वारा मामले में निर्णय ले लिया गया हो। कुल-सचिव ऐसी

अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें।

3. (1) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा वित्त नियंत्रक। कुलपति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) वित्त नियंत्रक वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किन्तु ऐसी समिति के सदस्य के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(3) जब वित्त नियंत्रक का पद रिक्त हो जाता है या जब वित्त अधिकारी बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य करने में असमर्थ हो, तो अधिकारी के कर्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जायेंगे, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे।

(4) वित्त नियंत्रक—

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा तथा विश्वविद्यालय को इसकी वित्तीय नीतियों के सम्बन्ध में परामर्श देगा; तथा

(ख) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायें या जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(5) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त नियंत्रक —

(क) न्यास तथा दान की गई सम्पत्ति सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निवेशों को धारण करेगा तथा प्रबन्ध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवर्तक तथा अनावर्तक खर्च वित्त समिति द्वारा वर्ष के लिये नियत सीमाओं से अधिक न हो तथा सभी धन उसी प्रयोजनार्थ खर्च किये जाएं जिनके लिये वे प्रदान अथवा आबंटित किए गए हैं ;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा बजट तैयार करने और उन्हें कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा ;

(घ) नकदी तथा बैंक बकायों की स्थिति पर और निवेश की स्थिति पर लगातार नज़र रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नज़र रखेगा तथा नियोजित किए जाने वाले संग्रहण के ढंग पर मन्त्रणा देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर तथा उपकरणों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित सभी कार्यालयों, विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों तथा

संस्थाओं में उपकरण तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री के स्टॉक निरीक्षण का संचालन किया जाये;

(छ) किसी अनधिकृत खर्च तथा अन्य वित्तीय अनियमिततायें कुलपति के ध्यान में लाएगा तथा उसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में सुझाव देगा;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय अथवा संस्था से, जो वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक समझे, कोई सूचना या विवरणी मंगवाएगा।

(6) विश्वविद्यालय को भुगतानयोग्य किसी धन के लिए वित्त नियंत्रक अथवा कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की रसीद ऐसे धन के भुगतान के लिये पर्याप्त रूप से उन्मोचन होगी।

विश्वविद्यालय के
अन्य अधिकारी।

4. विश्वविद्यालय की सेवा में निम्नलिखित व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में भी घोषित किया जाता है, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय का अध्यक्ष ;
- (ख) शैक्षणिक कार्य अध्यक्ष ;
- (ग) कुलानुशासक (प्रॉक्टर) ;
- (घ) मुख्य रक्षक (चीफ वार्डन) ;
- (ङ) विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष ;
- (च) परीक्षा नियंत्रक ;
- (छ) पुस्तकाध्यक्ष ;
- (ज) विधि अधिकारी।

विश्वविद्यालय का
अध्यक्ष, शैक्षणिक
मामले का अध्यक्ष,
कुलानुशासक, मुख्य
रक्षक तथा विद्यार्थी
कल्याण अध्यक्ष।

5. विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले का अध्यक्ष, कुलानुशासक, मुख्य रक्षक तथा विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से, जो प्राचार्य की पदवी से नीचे के न हों, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी जिसकी कुलपति कार्य परिषद् को सिफारिश करें।

परीक्षा नियंत्रक।

6. (i) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और स्थापना समिति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो कार्य परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(ii) परीक्षा नियंत्रक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे -

- (क) परीक्षाओं का अनुशासनबद्ध और दक्षतापूर्ण रीति में संचालन करना;
- (ख) गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखते हुए, प्रश्न-पत्र बनवाने की व्यवस्था करना ;
- (ग) परीक्षा परिणामों के लिये योजनाबद्ध समय अनुसूची के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिये व्यवस्था करना ;
- (घ) निष्पक्षता तथा विषयनिष्ठता के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से परीक्षा प्रणाली का निरन्तर पुनर्विलोकन करना ताकि इसे विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिये बेहतर साधन बनाया जा सके ;
- (ङ) परीक्षा प्रणाली से सम्बन्धित ऐसे मामले करना, जो कुलपति द्वारा, समय-समय पर, उसे सौंपा जाये।

7. पुस्तकाध्यक्ष विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और स्थापना पुस्तकाध्यक्ष।
समिति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो कार्य परिषद् द्वारा विहित की जायें,
कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

8. विधि अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलपति विधि अधिकारी।
की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो परिणियमों द्वारा विहित की जाएं, कार्य
परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

9. संसद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

संसद तथा उसका
गठन।

I पदेन सदस्य -

- (i) कुलाधिपति ;
- (ii) कुलपति ;
- (iii) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग,
या कोई नामनिर्देशिनी जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
- (iv) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा
विभाग, या कोई नामनिर्देशिनी जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे
का न हो ;
- (v) सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिनी
जो संयुक्त सचिव / अपर निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;

- (vi) विधि परामर्शी, हरियाणा, या उस का नामनिर्देशिनी जो उप विधि परामर्शी की पदवी से नीचे का न हो ;
- (vii) महानिदेशक / निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा या उसका कोई नामनिर्देशिनी जो संयुक्त निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;
- (viii) संकायों का अध्यक्ष ;
- (ix) कुल-सचिव ;
- (x) परीक्षा नियंत्रक ;

II अन्य सदस्य -

- (i) विश्वविद्यालय के आचार्य जो पांच से अधिक न हों, ज्येष्ठता के आधार पर बारी-बारी से ;
- (ii) विश्वविद्यालय के सह-आचार्य तथा सहायक आचार्य में से चार अध्यापक जिनमें से कम से कम दो सह-आचार्य के आधार पर बारी-बारी से ,
- (iii) कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले उद्योग, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, फिल्म उद्योग, कला क्षेत्र, डिजाइन इत्यादि में से पांच प्रतिष्ठित परिषत्सदस्य तथा प्रतिनिधि ;
- (iv) पुस्तकाध्यक्ष ;
- (v) विधि अधिकारी ;

III (i) कुल सचिव कोर्ट का पदेन सदस्य सचिव होगा ;

- (ii) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित हैं उसके सिवाए पदेन सदस्यों से भिन्न, कोर्ट के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ;
- (iii) कोर्ट की सभी बैठकों में, गणपूर्ति दो बटा पांच सदस्यों से होगी ।

संसद की बैठकें ।

10. (i) संसद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी ।

- (ii) संसद की विशेष बैठक कुलाधिपति द्वारा, कुलपति अथवा उसके एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध पर, किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

कार्य परिषद् तथा उसका गठन ।

11. कार्य परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

I. पदेन सदस्य-

- (i) कुलपति ;

- (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, या कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;
- (iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, या कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
- (iv) महानिदेशक/निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, या कोई नामनिर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की पदवी से नीचे का न हो।

II. अन्य सदस्य -

- (i) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले संकायों के तीन अध्यक्ष, विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार बारी-बारी से ;
- (ii) ज्येष्ठता के आधार पर बारी-बारी से दो आचार्य (संकायों के अध्यक्षों से भिन्न) ;
- (iii) उद्योग/फिल्म उद्योग/ललित कला/फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान/राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान/राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान/वास्तुकला परिषद/तकनीकी विश्वविद्यालय/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/राष्ट्रीय प्रबन्धन संस्थान/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, दूरदर्शन राष्ट्रीय ड्रामा विद्यालय तथा इन क्षेत्रों में विख्यात अन्य संस्थान इत्यादि से प्रख्यात व्यावसायिकों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले छह व्यक्ति ;
- (iv) विश्वविद्यालय का विधि अधिकारी ;

III (i) कुल सचिव कार्य परिषद् का पदेन सदस्य सचिव होगा ;

(ii) गणपूर्ति दो बटा पांच सदस्यों से होगी ;

(iii) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित हैं उसके सिवाए पदेन सदस्यों से भिन्न, कार्य परिषद् के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

12. कार्य परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय के राजस्व, सम्पत्ति तथा निधियों का धारण, नियन्त्रण तथा प्रशासन करना ;

कार्य परिषद् की शक्तियां।

(ख) अध्यापन तथा शैक्षणिक पद सृजित करना, ऐसे पदों की संख्या तथा परिलब्धियां अवधारित करना और संस्थाओं के आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और अन्य शैक्षणिक अमले और अध्यक्ष के कर्तव्य तथा सेवा शर्तें परिनिश्चित करना :

परन्तु अतिरिक्त वित्तीय दायित्व वाले नए पद सृजन के मामले तभी लागू रहेंगे यदि सरकार के नीचे दिये गये अनुसार प्रतिनिधि :-

अर्थात् वित्त सचिव (प्रशासकीय सचिव) या उसकी अनुपस्थिति में, उसका प्रतिनिधि :

और

शिक्षा सचिव (प्रशासकीय सचिव) अथवा उसकी अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधि :

अथवा

तकनीकी शिक्षा महानिदेशक या उसकी अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधि, ऐसे निर्णय लेते समय उपस्थित है और ऐसे निर्णय की सहमति दे दी है :

परन्तु यह कि यदि उचित नोटिस के बाद भी दो लगातार बैठकों में वित्त तथा तकनीकी शिक्षा विभाग से सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो कार्य परिषद् पद सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकती है :

परन्तु यह और कि अध्यापकों और शैक्षणिक अमले की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों के बारे में, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा वित्त समिति की सिफारिशों पर विचार के बाद कार्रवाई करेगी ;

परन्तु यह और कि अध्यापकों और शैक्षणिक अमलों की अर्हताओं के बारे में कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् की सिफारिशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् / वास्तुकला परिषद् तथा अन्य संबन्धित वैधानिक निकाय जैसे कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पूना, राष्ट्रीय ड्रामा विद्यालय, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय फैंशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अधिकथित विनियमों पर विचार करने के बाद कार्यवाही करेगी ;

(ग) संस्थाओं के आचार्यों, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, अन्य शैक्षणिक अमले तथा अध्यक्ष को इस प्रयोजन के लिये गठित चयन समितियों की सिफारिशों पर नियुक्त करना और उनमें अस्थायी रिक्तियां भरना ;

(घ) प्रशासनिक, लिपिक-वर्गीय तथा अन्य पद सृजित करना और परिनियमों द्वारा विहित रीति में उन पर नियुक्तियां करना ;

- (ड) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेश, सम्पत्ति, कारबार तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ताओं (एजेंटों) को नियुक्त करना जिन्हें वह ठीक समझे ;
- (च) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी धन, जिसमें ऐसे स्टॉकों, निधियों, हिस्सों या प्रतिभूतियों में उपयोग में न लाई गई कोई आय भी शामिल है, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे या समय-समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन करने की उसी प्रकार की शक्तियों सहित भारत में अचल सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना ;
- (छ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल तथा अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना ;
- (ज) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिये निर्माण, परिसर, फर्नीचर तथा उपकरण तथा अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना ;
- (झ) विश्वविद्यालय के लिये कोई सामान्य मुद्रा चुनना ;
- (ञ) विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल-सचिव या ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकरण या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करना ;
- (ट) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, फेरबदल करना, उन्हें कार्यान्वित्त करना अथवा रद्द करना ;
- (ठ) परिणियम बनाना, संशोधित अथवा निरसित करना;
- (ड) विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखने के सम्बन्ध में निर्णय करना ; तथा
- (ढ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसी अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम, परिणियमों का अध्यादेशों द्वारा कार्य परिषद् को प्रदान की जाएं या समनुदेशित किए जाएं ;
- (ण) विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम, परिणियमों या अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं हैं।
13. शिक्षा परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :-
- I. पदेन सदस्य:-
- (i) कुलपति ;
- (ii) 'महानिदेशक/निदेशक, तकनीकी शिक्षा या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;

शिक्षा परिषद् और
उसका गठन।

(iii) कुल-सचिव ;

(iv) वित्त नियंत्रक ;

(v) विश्वविद्यालय के दो अध्यक्ष, उनकी वरिष्ठता के आधार पर बारी-बारी से ;

(vi) परीक्षा नियन्त्रक ;

(vii) विश्वविद्यालय पुस्तकालय का पुस्तकाध्यक्ष ;

II. अन्य सदस्य -

(i) प्रत्येक संकाय से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एक आचार्य, वरिष्ठता के आधार पर बारी-बारी से ;

(ii) प्रत्येक संकाय से एक सह-आचार्य, वरिष्ठता के आधार पर, बारी-बारी से ;

(iii) प्रत्येक संकाय से एक सहायक आचार्य, वरिष्ठता के आधार पर, बारी-बारी से ;

(iv) विश्वविद्यालय के बाहर से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले चार प्रतिष्ठित शिक्षाविद :

परन्तु उनमें में से एक से अधिक उसी क्षेत्र से नहीं होगा ;

(v) कुलपति की सिफारिश द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उद्योग तथा अनुसंधान से संबंधित मामलों में राज्य में प्रवीणता रखने वाले केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/संबद्ध उद्योगों से चार व्यक्ति :

परन्तु विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यक्ष/अधिकारियों को जिनका सहयोजन विशिष्ट मद के बारे में आवश्यक है, बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है तथापि, विशेष आमंत्रिती को मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

शिक्षा परिषद् की शक्तियाँ।

14. (1) शिक्षा परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना और शिक्षा पद्धतियों, शैक्षणिक स्तरों में अनुसंधान सुधारों के मूल्यांकन के संबंध में निदेश देना;

(ख) या तो अपनी निजी प्रेरणा पर या कुलाधिपति, कुलपति, कार्य परिषद् अथवा किसी संकाय के प्रतिनिर्देश से, सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना तथा उन पर उचित कार्रवाई करना ;

- (ग) कार्य परिषद् को अध्यापन पद सृजित करने तथा समाप्त करने की सिफारिश करना ;
- (घ) संकायों की सिफारिशों पर विभिन्न परीक्षाओं के लिये पाठ्य विवरण तथा पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन विहित करना ;
- (ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षा सम्बन्धी कृत्यों, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येता-वृत्तियों, अध्ययन-वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों को प्रदान करने, फीसों की रियायतों, सामूहिक जीवन तथा उपस्थिति के सम्बन्ध में परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम बनाना ; और
- (च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा शिक्षा परिषद् को प्रदान की जायें या सौंपे जायें ।
- (2) पाठ्य-विवरण, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन तथा परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में शिक्षा परिषद् के सभी निर्णय, जहां तक वे परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित न हों, अंतिम होंगे ।
15. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :-
- (I) पदेन सदस्य—
- (क) कुलपति (अध्यक्ष) ;
- (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिनी, जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
- (ग) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या कोई नामनिर्देशिनी जो संयुक्त सचिव/ अपर निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;
- (घ) महानिदेशक/निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा या कोई नामनिर्देशिनी जो संयुक्त निदेशक/लेखा अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो;
- (II) अन्य सदस्य—
- (i) कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले वित्त में निपुणता रखने वाले दो बाह्य सदस्य ;
- (ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले संकायों के दो अध्यक्ष ।

वित्त समिति का
गठन।

(2) कुल-सचिव समिति का सदस्य-सचिव होगा।

(3) वित्त समिति का नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(4) तीन सदस्यों, जिनमें से कम से कम एक सदस्य सरकार का नामनिर्देशिती होगा, से गणपूर्ति होगी।

वित्त समिति के कृत्य तथा शक्तियाँ।

16. (1) वित्त समिति लेखों की परीक्षा और व्यय के प्रस्तावों की छानबीन करेगी तथा कार्य परिषद् को वार्षिक बजट अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी। वित्त समिति जो विश्वविद्यालयों के संसाधनों तथा आय के आधार पर वर्ष के लिये कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करेगी, के पूर्व अनुमोदन के बिना, विश्वविद्यालय द्वारा, बजट में से कोई खर्च उपगत नहीं किया जायेगा। इस प्रकार नियत सीमाओं से अधिक विश्वविद्यालय द्वारा कोई खर्च उपगत नहीं किया जायेगा।

(2) यह अध्यापन तथा अन्य पदों के सृजन की जांच करेगी तथा कार्य परिषद् को सिफारिश करेगी।

(3) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा शासकीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष, उस पर उसके विचार तथा टिप्पणी के लिये रखे जायेंगे तथा उसके बाद कार्य परिषद् को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय के संकाय।

17. निम्नलिखित संकाय होंगे -

(i) ललित कला संकाय ;

(ii) फिल्म तथा टेलीविजन संकाय ;

(iii) डिजाइन संकाय ;

(iv) नगरीय आयोजना तथा वास्तुकला संकाय ;

(v) ऐसे अन्य संकाय जिन्हें कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर गठित करे।

संकायों का गठन।

18. (1) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) संकाय का डीन (अध्यक्ष) ;

(ii) उस संकाय में सम्मिलित विभागों का अध्यक्ष ;

(iii) प्रत्येक विभाग से एक आचार्य वरिष्ठता के आधार पर, बारी-बारी से ;

(iv) संकाय में सम्मिलित प्रत्येक विभाग से एक सह-आचार्य तथा सहायक आचार्य या समकक्ष वरिष्ठता के अनुसार, बारी-बारी से ;

परन्तु जहां कहीं आवश्यक समझा जाये, कुलपति अध्यक्ष की सिफारिश पर सदस्यों की संख्या बढ़ा सकता है।

(2) नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष के लिये पद धारण करेंगे :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, किसी संकाय के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है।

(3) कुलपति प्रत्येक संकाय का सचिव होगा।

(4) प्रत्येक संकाय में सदस्यों के दो बटा पांच से गणपूर्ति होगी।

19. (1) प्रत्येक संकाय का अध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। अध्यक्ष, संकाय में सम्मिलित विभिन्न विभागों में आचार्यों में से वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जायेगा : संकायों के अध्यक्ष।

(2) अध्यक्ष, जो तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, के पद के साथ उपयुक्त पारिश्रमिक होगा।

(3) अध्यक्ष, संकाय की बैठकें बुलाएगा तथा उनकी अध्यक्षता करेगा।

(4) अध्यक्ष, उनमें अध्यापन के समन्वय के लिये तथा संकाय के निर्णय के निष्पादन के लिये जिम्मेदार होगा।

(5) अध्यक्ष को संकाय की समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसके विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा।

20. शिक्षा परिषद् के नियन्त्रण के अध्यक्षीन, संकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी— संकायों की शक्तियां।

(क) संकाय को सौंपे गए विभागों में विश्वविद्यालय के अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य में तालमेल लाना ;

(ख) अध्ययन बोर्डों से आवश्यक रिपोर्टों के बाद, विभिन्न परीक्षाओं के लिये शिक्षा परिषद् को पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन तथा पाठ्य विवरणों की सिफारिश करना ;

(ग) विभागों से पद सृजित करने तथा समाप्त करने के लिये रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उन्हें शिक्षा परिषद् को ऐसी सिफारिशों के साथ भेजना जो वह युक्तियुक्त समझे ;

(घ) अध्यापन तथा परीक्षाओं के स्तरों की उन्नति के लिये स्कीमों के बारे में शिक्षा परिषद् से विचार-विमर्श करना तथा सुझाव देना ; और

(ङ) किसी अन्य मामले के संबंध में कार्रवाई करना जो उसे शिक्षा परिषद् या कुलपति या संकायों के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाये।

21. (1) प्रत्येक अध्यापन विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए, बारी-बारी से, नियुक्त किया जायेगा : विभागों के अध्यक्ष।

परन्तु—

(क) यदि किसी विभाग में दो या अधिक आचार्य हों, तो अध्यक्ष केवल आचार्यों में से वरिष्ठता द्वारा बारी-बारी से होगा :

(ख) यदि किसी विभाग में केवल एक ही आचार्य हो, तो अध्यक्षता, आचार्य तथा वरिष्ठतम सहायक आचार्य के बीच बारी-बारी से होगी ; परन्तु वह सह-आचार्य के रूप में पांच वर्ष का अनुभव रखता हो :

(ग) यदि किसी विभाग में कोई आचार्य न हो, तो अध्यक्षता वरिष्ठतम दो सह-आचार्यों के बीच बारी-बारी से होगी ;

(2) ऐसे विभाग की दशा में, जहां कोई अध्यापक ऐसे विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र न हो, जहां महाविद्यालयों में केवल पूर्व स्नातक स्तर तक के लिये शिक्षा दी जाती है, संबंधित संकाय का अध्यक्ष ही उसका अध्यक्ष होगा।

(3) यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति लम्बे अवकाश पर हो, तो अगला पात्र व्यक्ति विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा और वह अपनी समयावधि पूरी होने तक इस रूप में निरन्तर बना रहेगा, यद्यपि वरिष्ठ व्यक्ति उस अवधि के दौरान अवकाश से वापस भी आ जाये। तथापि, वरिष्ठ व्यक्ति, वर्तमान पदधारी की समयावधि की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा।

(4) यदि विभाग का अध्यक्ष, बीमारी के कारण, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से, अपने पद के कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तो जब तक कुलपति अन्यथा आदेश न करे, पद के कर्तव्य अगले पात्र व्यक्ति द्वारा निभाए जायेंगे।

(5) यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करता है या स्वेच्छा से त्याग-पत्र देता है, तो वह विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक पात्र अध्यापकों में से बारी-बारी से चक्र की समाप्ति के बाद उसकी बारी फिर से न आ जाये।

(6) यदि कुलपति, यह आवश्यक समझे, तो वह इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि वर्तमान अध्यक्ष की समयावधि अभी समाप्त नहीं हुई है, अगले पात्र व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है, उस दशा में वह मामले की रिपोर्ट कार्य परिषद् को उसकी अगली बैठक में देगा।

नियुक्तियां।

22. (1) अध्यापन पदों पर सभी नियुक्तियां चयन समिति की सिफारिशों पर, कार्य परिषद् द्वारा की जायेंगी।

(2) गैर-अध्यापन पदों पर नियुक्तियां स्थापना समिति की सिफारिश पर, कार्य परिषद् द्वारा की जाएंगी।

(3) उपर्युक्त खण्ड (1) और (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, जहां वह आवश्यक समझे, छह मास से अनधिक अवधि के लिये तदर्थ या अस्थायी नियुक्ति कर सकता है, यदि नियमित नियुक्ति करना संभव अथवा वांछनीय न हो।

चयन समितियां।

23. (1) आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए, चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(i) कुलपति ;

- (ii) महानिदेशक/निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा;
- (iii) संस्थान का अध्यक्ष ;
- (iv) संकाय का अध्यक्ष ;
- (v) सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष, यदि वह आचार्य हो ;
- (vi) विभाग में वरिष्ठतम आचार्य सिवाय उसके जहां कुलपति द्वारा अन्यथा निर्णीत हो ;
- (vii) आचार्य की दशा में तीन व्यक्ति तथा सहआचार्य तथा सहायक आचार्य की दशा में दो व्यक्ति, जो उस विषय में जिससे आचार्य, सह-आचार्य तथा सहायक आचार्य सम्बन्धित होंगे, अपने विशेष ज्ञान, अथवा रूचि के आधार पर, शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई नामावली से जो विश्वविद्यालय से सम्बन्ध न रखते हों, कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायें :

परन्तु कुलपति विशेष परिस्थितियों में नामावली में अधिक नाम जोड़ सकता है और इन नामों की रिपोर्ट शिक्षा परिषद् को उसकी अगली बैठक में करेगा।

(2) परिनियमों में यथा उपबन्धित, शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई नामावलियां, तथा कुलपति द्वारा उनमें किये गए परिवर्धन, यदि कोई हों, कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्वधीन होंगे :

परन्तु यदि चयन समिति में उपस्थित होने के निमन्त्रण को स्वीकार करने के बाद भी विशेषज्ञों में से कोई एक उपस्थित होने में असफल रहता है, तो बैठक की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी :

परन्तु यह और कि चयन समिति की बैठक की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी यदि चयन समिति का कोई पदेन सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असफल रहता है।

(3) कुलपति चयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और कुल-सचिव उसके सचिव के रूप में कार्य करेगा। चयन समिति की बैठक कुलपति द्वारा, या उसके निर्देशों के अधीन बुलाई जायेगी।

(4) चयन समिति उसे निर्दिष्ट की गई नियुक्तियों के बारे में विचार करेगी और कार्य परिषद् को सिफारिश प्रस्तुत करेगी। यदि कार्य परिषद् समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ हो, तो वह इसके कारण अभिलिखित करेगी और मामला कुलाधिपति को अन्तिम आदेशों के लिये प्रस्तुत करेगी।

स्थापना समिति।

24. (1) कार्य परिषद् के नियंत्रणाधीन स्थापना समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (i) कुलपति;
- (ii) महानिदेशक/निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा;
- (iii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाली संस्थाओं का एक अध्यक्ष;
- (iv) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य परिषद् के दो सदस्य;
- (v) वित्त नियंत्रक;
- (vi) कुल-सचिव;
- (vii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ जब-जब आवश्यक समझें:

परन्तु जहाँ एक से अधिक विशेषज्ञ हों तथा उनमें से एक विशेषज्ञ बैठक में उपस्थित होने के समय पर आमंत्रण स्वीकार करने के बाद उसमें उपस्थित होने में असफल रहता है, तो बैठक की कार्यवाहियाँ विधिमान्य होंगी।

(2) कुलपति स्थापना समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा और कुल-सचिव समिति का सदस्य-सचिव होगा।

(3) कार्य परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, बशर्ते कि कोई ऐसा सदस्य, जो कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में नहीं रहता है, स्थापना समिति के सदस्य के रूप में भी नहीं रहेगा।

(4) समिति की प्रति मास 6500/- रुपये या उससे अधिक के आरम्भिक वेतन वाले गैर अध्यापन पदों पर नियुक्तियों के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करने की शक्ति होगी।

व्याख्या :- "नियुक्ति" में विश्वविद्यालय पुस्तकालय तथा खेल विभाग में प्रति मास 8000/-रुपये या से अधिक आरम्भिक वेतन वाले पदों सहित सभी गैर-अध्यापन पदों पर सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति द्वारा भी शामिल होंगे।

योजना बोर्ड का
गठन और कृत्य।

25. (1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (क) कुलपति ;
- (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या कोई नाम-निर्देशिती जो संयुक्त सचिव/विशेष सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

- (ग) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या कोई नाम-निर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
- (घ) महानिदेशक/निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा या कोई नाम-निर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
- (ङ) वित्त नियंत्रक ;
- (च) शिक्षा तथा उद्योग में उच्च जानकारी रखने वाले सात से अन्धिक व्यक्ति, जो कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष की समय अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :
- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नामनिर्देशिती ;
- (ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का नामनिर्देशिती ;
- (iii) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का एक निदेशक ;
- (iv) फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान का एक निदेशक ;
- (v) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापन प्रशिक्षण तथा अनुसंधान भारत सरकार का एक निदेशक ;
- (vi) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का एक निदेशक ;
- (vii) शिक्षा तथा उद्योग में उच्च जानकारी रखने वाले पांच व्यक्ति ।
- (छ) कुलसचिव बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा ।

(2) बोर्ड की सिफारिशों को, विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद, कार्यरूप दिया जायेगा ।

(3) यह विश्वविद्यालय में, विशेष रूप से, शिक्षा और अनुसंधान के स्तर के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की योजना और विकास पर परामर्श देगा ।

26. उपाधियां प्रदान करने के लिए तथा अन्य प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह। दीक्षान्त समारोह ऐसी रीति में आयोजित किया जायेगा, जो कार्य परिषद् द्वारा, समय-समय पर, अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाये :

परन्तु सम्मानार्थ उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन रहते हुए होगा ।

27. विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में कुलपति की सिफारिश पर शिक्षा परिषद् विभाग। द्वारा सम्यक् रूप से सृजित विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग होंगे ।

संकायों को अध्ययन
विभाग का
समनुदेशन।
अध्ययन बोर्ड।

28. कुलपति की सिफारिश पर, शिक्षा परिषद् द्वारा अध्ययन विभाग विभिन्न संकायों को समनुदेशित किये जायेंगे।

29. (1) संकाय में सम्मिलित प्रत्येक विभाग में, दो अध्ययन बोर्ड होंगे, एक पूर्व स्नातक अध्ययन के लिये और दूसरा अध्ययन बोर्ड स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये होगा।

(2) पूर्व स्नातक अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे -

- (i) संस्था का अध्यक्ष ;
- (ii) विभागों के सभापति ;
- (iii) कुलपति द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार, बारी-बारी से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त एक आचार्य ;
- (iv) कुलपति द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार, बारी-बारी से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त एक सह-आचार्य तथा एक सहायक आचार्य ;

परन्तु कोई भी ऐसा अध्यापक दो क्रमिक अवधियों के लिये नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई अध्यापक, जो संकाय के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है, इस उप-खण्ड के अधीन नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा ;

- (v) विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर, कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो बाहरी विशेषज्ञ :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, उपर्युक्त उप-खण्ड (v) के अधीन, पूर्व स्नातक अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है।

(3) स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे-

- (i) संस्था का अध्यक्ष ;
- (ii) विभाग का सभापति ;
- (iii) विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त सभी आचार्य;
- (iv) कुलपति द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार, बारी-बारी से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त दो सह-आचार्य तथा दो सहायक आचार्य ;

- (v) स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव काल के आधार पर अवधारित की जाने वाली ज्येष्ठता के अनुसार, कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले सम्बद्ध विषय में कम से कम दस वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित संस्थाओं में स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्षों समेत दो अध्यापक दारी-दारी से :

परन्तु ऐसा सदस्य एक से अधिक उसी संस्था से नहीं होगा।

- (vi) विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर, कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो बाहरी विशेषज्ञ :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, उपर्युक्त उप-खण्ड (v) के अधीन, पूर्व स्नातक अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है।

- (4) (i) पूर्व स्नातक अध्ययन बोर्ड, सम्बद्ध संकाय के माध्यम से पूर्ण स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए, विभिन्न विषयों हेतु अध्ययन के पाठ्यक्रमों और पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुरतकों के लिये शिक्षा परिषद् को सिफारिश करेगा और स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड, स्नातकोत्तर कक्षाओं और अनुसंधान उपाधियों के लिये पाठ्यक्रमों के संबंध में ऐसी सिफारिशें करेगा ;
- (ii) अध्ययन बोर्ड, पूर्व स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, जैसी भी स्थिति हो, के लिए प्राश्निकों तथा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शिक्षा परिषद् को सिफारिश भी करेगा ;
- (iii) अध्ययन बोर्ड, ऐसे किसी अन्य मामले के बारे में विचार करेगा जो उन्हें संकाय द्वारा निर्दिष्ट किया जाये। विभाग का सभापति, बोर्ड का सभापति होगा। पदेन-सदस्यों से भिन्न सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसकी पुस्तक या कोई अन्य प्रकाशन बोर्ड के समक्ष विचाराधीन हो, बोर्ड से आसक्त नहीं होगा।

30. विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं वापस ली जा सकती हैं -- उपाधि/उपाधि-पत्र इत्यादि की वापसी।

- (क) यदि सम्बन्धित व्यक्ति को उम्मीदवारी, अध्यादेश द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार रद्द कर दी गई हो, या परीक्षाफल रद्द कर दिया गया हो ; अथवा
- (ख) यदि उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में दुर्व्यवहार किया हो; बरातें कि इस प्रश्न का अंतिम रूप से निर्णय कुलपति द्वारा किया

जायेगा कि किसी व्यक्ति ने इस परिनियम के अनुसार दुर्व्यवहार किया है; अथवा

(ग) जब शिक्षा परिषद् के समक्ष यह दर्शाते हुये पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि कोई व्यक्ति जिसको विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि या उपाधि-पत्र इत्यादि प्रदान किया गया था, ऐसे अपराध का सिद्धादोष हो गया है, जो उनकी राय में गम्भीर अपराध है; तो शिक्षा परिषद्, कार्य परिषद् को सिफारिश कर सकती है कि ऐसी उपाधि या उपाधि-पत्र को रद्द कर दिया जाये।

अध्यापकों का अनुमोदन, मान्यता की मापसी।

31. विश्वविद्यालय द्वारा, किसी अध्यापक का अनुमोदन, मान्यता वापस ली जा सकती है -

(क) यदि अध्यापक, अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है; अथवा

(ख) यदि कार्य परिषद् के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि अध्यापक ने ऐसा कार्य किया है, जो उनकी राय में गम्भीर अपराध है, कार्य परिषद् अध्यापक का अनुमोदन, मान्यता वापस ले सकती है।

उपदान, अनुग्रह-अनुदान इत्यादि।

32. विश्वविद्यालय, सरकार के पैटर्न पर, अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये उपदान, अनुग्रह-अनुदान, इत्यादि, उपलब्ध करवायेगा।

अध्येता-वृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार।

33. प्रदान की जाने वाली अध्येता-वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों की संख्या तथा मूल्य कार्य परिषद् द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या शिक्षा परिषद् या दित्त समिति की सिफारिशों पर अवधारित किया जायेगा।

सदस्यता की समयावधि की परिक्षीमा।

34. (1) इन परिनियमों में दी गई किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति, जो किसी विशेष प्राधिकरण या निकाय का सदस्य अथवा किसी नियुक्ति विशेष के धारक की हैसियत में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य है, केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक उस विशेष प्राधिकरण या निकाय का सदस्य या उस नियुक्ति विशेष का धारक, जैसी भी स्थिति हो, बना रहता है :

परन्तु विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का ऐसा अध्यापक-सदस्य जो अपनी सेवा से त्याग-पत्र दे देता है अथवा छह मास अथवा इससे अधिक के लिये छुट्टी पर चला जाता है, तो वह सम्बद्ध निकाय का सदस्य नहीं रहेगा और कोई स्थानापन्न नियुक्त किया जायेगा। यदि उसकी छुट्टी की अवधि छह मास से कम हो, तो उसकी सदस्यता छुट्टी से वापसी तक अथवा छह मास की अवधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी बाद में हो, स्थगित रखी जायेगी। जहां सदस्यता स्थगित रखी जाती है, वहां कोई स्थानापन्न सदस्य नियुक्त या निर्वाचित नहीं किया जायेगा।

(2) यदि कोई अध्यापक छह मास अथवा इससे अधिक की अवधि के लिये छुट्टी पर हो, तो वह उस विशेष रिक्रि के लिये नामनिर्देशन या पुनः निर्वाचन के लिये पात्र

नहीं होगा। तथापि, वह ऐसी रिक्ति पर, जो छुट्टी से उसके लौटने के बाद उत्पन्न हो, नामनिर्देशन या निर्वाचन के लिये पात्र होगा।

35. इन परिनिगमों अथवा अध्यादेशों में दी गई किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति, जो नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष हो गया है अथवा जो किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्था से अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी भी प्रकार की शिक्षा संस्था से कदाचार के कारण पदच्युत कर दिया गया है, तो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का अथवा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति का सदस्य बनने या बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा। निलम्बन के अधीन किसी व्यक्ति को उसके निलम्बन की अवधि के दौरान उपर्युक्त प्राधिकरणों या समितियों की किसी बैठक में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यता इत्यादि की समाप्ति।

36. यदि कोई व्यक्ति शिक्षा परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के संबंध में उसकी ओर से किये गये किसी अनाचार के कारण विश्वविद्यालय के किसी कार्य से विवर्जित कर दिया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति अपहरण रहने तक, विश्वविद्यालय के किसी निकाय या प्राधिकरण का सदस्य बनने अथवा बने रहने के लिये निरर्हित रहेगा।

सदस्यता के लिये निरर्हिता।

37. (1) विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी कुलपति तथा संबंधित उच्च अधिकारियों के निगन्त्रण के अधीन रहने हुए ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें कार्य परिषद् अध्यादेशों, नियमों, विनियमों अथवा उसके द्वारा अंगीकृत संकल्पों द्वारा प्रत्यागोजित करे।

प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(2) कुलपति या कुल-सचिव, कुलपति के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या किसी अन्य कर्मचारी को ऐसी शक्तियां जो वह आवश्यक समझे प्रत्यागोजित कर सकता है जो उनमें परिनिगमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा निहित की गई हैं।

38. (1) परिनिगमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कार्यपरिषद् ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, विश्वविद्यालय में आचार्य के पद को स्वीकार करने के लिए उच्च शिक्षा सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियां तथा वृत्तिक योग्यताओं वाले किसी व्यक्ति को आमन्त्रित कर सकती है तथा ऐसा करने के लिए सहमति देने वाले व्यक्ति को पद पर नियुक्त कर सकती है।

नियुक्ति का विशेष ढंग।

(2) कार्यपरिषद् अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत किसी अध्यापक या किसी अन्य शैक्षणिक अमले को नियुक्त कर सकती है।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा सरकार जनता के विकास तथा कल्याण के लिए वचनबद्ध है। यह लगातार लोगों के मानव संसाधन विकास के लिए नए तथा नवपरिवर्तमान मार्ग ढूंढने में प्रयासरत है जो राज्य के सम्पूर्ण विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इस ओर राज्य ने प्रदर्शन तथा ललितकलाओं के क्षेत्रों में शैक्षणिक अवसरों के सृजन के लिए निश्चय किया है। तथापि, राज्य सरकार ने युवा तथा महत्त्वकांक्षी विद्यार्थियों के लिए इन क्षेत्रों में नए विषयों को पेश करते हुए रोहतक में विश्वस्तरीय संस्थान स्थापित किए हैं। इस पहल को विकसित करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा डिजाइन, फिल्म तथा टेलीविजन, ललितकला तथा नगरीय योजना तथा वास्तुकला में उपाधि स्तरीय शिक्षण प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए एक मात्र कैंपस स्थापित किया है।

सम्बन्धित क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केन्द्रों के रूप में इन संस्थानों को स्थापित करना दूरदर्शित है। ये शैक्षणिक तथा नियमित क्षेत्र के लिए पड़ोसी संस्थानों तथा संकाय विकास प्रोग्रामों की वचनबद्धता के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हुए कला तथा डिजाइन उद्योग के विकास, नगरीय योजना में अनुसंधान वचनबद्धता, खोजात्मक तथा क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। यह संस्थाएं कृतेत्याभक, वित्तीय, शैक्षणिक तथा प्रबन्धकीय स्वायत्त तथा सभी चार संस्थानों के लिए स्वतन्त्र बोर्ड ऑफ गवर्नर के साथ सरकारी तकनीकी संस्थान सोसाइटी के माध्यम से शामिल हैं। प्रथम फेज में पूर्व स्नातक प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं तथा पश्चात्वर्ती फेज में मास्टर तथा अनुसंधान प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे।

उपरोक्त संस्थानों में नीचे दिए गए कोर्स पेश किए जाएंगे :

राज्य डिजाइन संस्थान, 2011 में स्थापित किया गया।

क्र०सं०	कोर्स	वर्षों की अवधि	प्रवेश क्षमता
1.	अपरैल डिजाइन	4	20
2.	टेक्सटाईल डिजाइन	4	20
3.	उत्पाद डिजाइन	4	20
4.	लाइफस्टाईल एसेसरीज डिजाइन	4	20

राज्य फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, 2011 में स्थापित किया गया :

क्र०सं०	कोर्स	वर्षों की अवधि	प्रवेश क्षमता
1.	एक्टिंग	3	12
2.	सिनेमा आटोग्राफी	3	12
3.	डायरेक्शन	3	12
4.	एडिटिंग	3	12
5.	साउंड रिकार्डिंग		
	एण्ड साउंड डिजाइन	3	12

राज्य ललितकला संस्थान, 2011 में स्थापित किया गया

क्र०सं०	कोर्स	वर्षों की अवधि	प्रवेश क्षमता
1.	एपलाईड आर्ट	4	20
2.	पेंटिंग	4	20
3.	प्रिन्ट मेकिंग	4	20
4.	स्कलपचर	4	20
5.	एनिमेशन एण्ड मल्टीमीडिया	4	20
6.	इंटीरियर डिजाईन	4	20

राज्य नगरीय योजना तथा वास्तुकला संस्था, 2012 में स्थापित किया गया

क्र०सं०	कोर्स	अवधि	प्रवेश
1	वास्तुकला	पांच वर्ष	40

कैम्पस सैक्टर-6, रोहतक में 22 एकड़ भूमि के टुकड़े पर स्थापित किया गया है। प्रत्येक संस्था अर्थात् (i) राज्य ललित कला संस्थान (ii) राज्य नगरीय योजना तथा वास्तुकला संस्थान (iii) राज्य डिजाईन संस्थान तथा (iv) राज्य फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान के लिए लगभग एक लाख वर्ग गज आच्छादित क्षेत्र वाले चार ब्लॉक पहले ही निर्मित कर दिए गए हैं। चार ब्लॉक के अतिरिक्त, सुविधाएं जैसे ऑडिटोरियम, केन्द्रीय लाईब्रेरी, सभा कक्ष, कम्प्यूटर केन्द्र इत्यादि वाले सामूहिक उपयोग ब्लॉक भी निर्मित किए गए हैं। इन पांच ब्लॉकों के निर्माण पर कुल पूंजी खर्च लगभग 200 करोड़ रु० से ज्यादा का है। संस्थागत कैम्पस के नजदीक सैक्टर-6, रोहतक में संकाय और प्रशासनिक अमले के लिए घर आवास सहित लड़कों और लड़कियों के लिए अलग से छात्रावास मिला कर आवासीय कैम्पस हेतु हुडा द्वारा 9.77 एकड़ का एक दूसरा स्थान आवंटित किया गया है। हुडा संस्थाओं के बढ़ावे के लिए 4.2 एकड़ भूमि का एक दूसरे टुकड़े हेतु भी सहमति दी गई है। जैसे कि अब लगभग 36 एकड़ उपरोक्त संस्थाओं के पास उपलब्ध है। एकीकृत कैम्पस के लिए 222 उच्चापन और गैर-अध्यापन पद स्वीकृत किए गए हैं।

अन्तिम तीन वर्षों की अवधि के दौरान, कोर्स/प्रोग्राम के विशेषज्ञ स्वरूप के दृष्टिगत, यह महसूस किया गया है कि विभिन्न शैक्षणिक मामले जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षात्मक सामग्री, अध्यापन, छात्रों का मुल्यांकन तकनीक को विनिश्चित करने के लिए शिक्षा स्वायत्त आपेक्षित है। इसी प्रकार इन संस्थानों की वित्तीय, प्रशासकीय और प्रारपण मामलों की व्यवस्था करने के लिए प्रशासनिक स्वायत्त भी आपेक्षित है। स्वायत्तता इन संस्थानों के विद्यार्थियों और अध्यापन संकाय को प्रोत्साहित और विकास को उत्साहित करेगी। प्रदर्शन और दृश्यकला विश्वविद्यालय की छत के नीचे आने से इन संस्थाओं को उद्योग तथा व्यापार की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ललितकला, डिजाईन, नगरीय योजना और वास्तुकला और फिल्म तथा टेलीविजन के क्षेत्र में दैवसहायकों की उत्कृष्टता सर्जित करने में मदद मिलेगी।

उपलब्ध अवसंरचनात्मक और मानव संसाधन सुविधाओं तथा प्रदर्शन और दृश्य कला के क्षेत्र में विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करने, इन क्षेत्रों में अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध करवाना और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से एकीकृत कैम्पस के इन चारों संस्थाओं को उपयुक्त विधान अधिनियम द्वारा राज्य प्रदर्शन और दृश्यकला विश्वविद्यालय, रोहतक में उन्नत किया जाना है।

गहेन्द्र प्रताप सिंह,
तकनीकी शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 13 जुलाई, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 13, 2014
(ASAR. 22, 1936 SAKA)

Folio No. 2575—2578 Blank Pages

52458—H.V.S.—H.G.P., Chd.